रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022026-270078
CG-DL-E-12022026-270078

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 2026/माघ 20, 1947
No. 633] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 2026/MAGHA 20, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2026

का.आ. 667(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती है और तद्नुसार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार इसे, इससे प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित करती है; और उक्त प्रारुप अधिसूचना को उस तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति या उसके पश्चात् विचार में लिया जाएगा जिस तारीख को इस अधिसूचना को सम्मिलित करने वाली राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती है;

ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो इस प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति है या सुझाव देना चाहता हो, वह उसे लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या इस मंत्रालय के ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

और, शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य केरल के कोल्लम जिले के पुनालुर तालुक (पूर्व में पठानपुरम तालुक) में 8°44' से 9°14' उत्तरी अक्षांश और 76°59' से 77°16' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 172.403 वर्ग किलोमीटर है। यह अभयारण्य केरल राज्य के अगस्त्यमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र और पेरियार हाथी आरक्षित क्षेत्र का एक भाग है। इस अभयारण्य का नाम स्थानीय रूप से प्रसिद्ध 'चेनकुरिन्जी' वृक्ष के नाम पर रखा गया है, जो इस क्षेत्र का स्थानिक वृक्ष है और कुलथुपुझा आरक्षित वनों में सम्मिलित है।

और जबकि, शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य विभिन्न प्रकार के जीवों का घर है। दो मानसूनों की भारी वर्षा और अनुकूल मिट्टी के कारकों से युक्त उष्णकटिबंधीय जलवायु, वनस्पति जीवन के फलने–फूलने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ बनाती है। शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य के जंगल कल्लदा नदी के जलस्रोत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। शेंदुर्नी जलाशय का पानी केरल के कोल्लम, पथानामथिट्टा और अलपुझा जिलों में कृषि भूमि के एक बड़े हिस्से को पोषण प्रदान करता है।

और जबकि, मिरिस्टिका दलदल इस क्षेत्र में पाए जाने वाले अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं। ये दलदल प्राचीन मिरिस्टिकेसी परिवार की कुछ प्रजातियों, जैसे मिरिस्टिका फतुआ (कोथप्पायिन) और जिम्नाक्रांथेरा फ़ार्कुहरियाना (उंडाप्पायिन) के अस्तित्व के एकमात्र स्थल हैं। ये मीठे पानी के दलदल उभयचरों और सरीसृपों, दोनों की प्रजातियों की विविधता और प्रचुरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

और जबकि, अगस्त्यमलाई पर्वत श्रृंखलाओं से समीपवर्ती पंडालम पर्वत श्रृंखलाओं तक का सिलसिला अभयारण्य और थेनमाला वन प्रभाग के एक संकीर्ण मार्ग से होकर गुजरता है।

और जबकि, शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य से पहचानी गई एंजियोस्पर्म प्रजातियों में 122 परिवारों से संबंधित 1293 प्रजातियाँ सम्मिलित हैं, जिनमें से लगभग 24.8 प्रतिशत पश्चिमी घाटों की स्थानिक प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा, मछलियों की 52 प्रजातियाँ, उभयचरों की 49 प्रजातियाँ, सरीसृपों की 52 प्रजातियाँ, तितलियों की 283 प्रजातियाँ, पक्षियों की 295 प्रजातियाँ और स्तनधारियों की 55 प्रजातियाँ हैं, जिनमें से 30 प्रतिशत से अधिक प्रजातियाँ पश्चिमी घाटों की स्थानिक प्रजातियाँ हैं।

और जबकि, शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य में एशियाई हाथी (*एलिफस मैक्सिमस*), मालाबार स्लेंडर लोरिस (*लोरिस लिडेकेकेरियनस*), बोनट मकाक (*मकाका रेडियोटा डिलुटा*), शेर-पूंछ वाले मकाक (*मकाका सिलेनस*), नीलगिरि लंगूर (*सेम्नोपिथेकस जॉनी*), गौर (*बोस गौरस*), भारतीय पैंगोलिन *(मैनिस क्रैसिकॉडाटा*), सांभर (*रूसा यूनिकलर*), मालाबार विशाल गिलहरी (*रतुफा इंडिका*), तीन धारीदार पाम गिलहरी (*फनमबुलस पामरम*), भारतीय कलगीदार साही (*हिस्ट्रिक्स इंडिका*), फुलवस फ्रूट बैट (*रूसेटस लेसचेनॉल्टी*), ब्लिथ घोड़े की नाल वाला चमगादड़ (*राइनोलोफ़स लेपिडस*), भूरा नेवला (*हर्पेस्टेस फ्यूस्कस*), भौंकने वाला हिरण (*मुंटियाकस मुंटजैक*), नीलगिरि धारीदार गिलहरी (*फनाम्बुलस सबलाइनेटस*), स्लॉथ भालू (*मेलर्सस उर्सिनस*), बाघ (*पैंथेरा टाइग्रिस*), तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*), आदि, जैसे वन्यजीवों की विविध आबादी मौजूद है।

और जबकि, शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य वनस्पति विविधता का एक खजाना है। इस अभयारण्य में 122 से अधिक परिवारों से संबंधित लगभग 1293 फूलदार पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो केरल में अनुमानित कुल फूलदार पौधों का लगभग 28% है। पादप प्रजातियों के प्रमुख परिवारों में एनोनेसी, डिलेनियासी, मेनिस्पर्मेसी, क्लूसियासी, यूफोरबियासी, फिलांथेसी, लोरैंथेसी, लेंटिबुलारियासी, सेलास्ट्रेसी मालवेसी, एलियोकार्पेसी, सैपिंडेसी, रूटेसी, रूबिएसी, बाल्सामिनेसी, एकेंथेसी, लैमियासी, एपोसिनेसी, बेगोनियासी, अर्टिकेसी, कॉन्वोल्वुलेसी, विटेसी, फैबेसी, मायर्टेसी और एस्टेरेसी आदि सम्मिलित हैं। कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों में एकल-फूल वाले ओरोफिया (*ओरोफिया यूनिफ्लोरा*), कॉर्की डेबर ट्री (*पॉलील्थिया सुबेरोसा*), छोटे फूल वाले जाइलोपिया (*जाइलोपिया परविफोलिया*), नेपाली एलिफेंट एप्पल (*डिलेनिया पेंटागिना*), पीली बेल (*कोस्किनियम फेनेस्ट्रेटम*), मालाबार गुलबेल (*टिनोस्पोरा साइनेंसिस*), अल्पाइन बादाम (*हाइड्रोकार्पस अल्पाइन*), सीलोन आयरनवुड (*मेसुआ फेरिया*), मालाबार इमली (*गार्सिनिया गुम्मी-गुट्टा*), छोटे फूल वाले मैलोटस (*मैलोटस रेजिनोसस*), दक्षिण भारतीय सुरेगाडा (*सुरेगाडा लांसोलेट*), भारतीय करौदा (*फाइलेंथस एम्बलिका*), इंडियन बॉम्बेक्स (*बॉम्बैक्स सीइबा*), धमन (*ग्रेविया टिलीफोलिया*), रस्टी कनक चंपा (*पेरोस्पर्मम रुबिगिनोसम*), सीलोन ओक (*श्लेचेरा ओलेओसा*), वाइल्ड बेरी (*मेसा इंडिका*) सहित कई अन्य प्रजातियाँ सम्मिलित हैं।

और जबकि, शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य की पक्षी प्रजातियों में हेमिप्रोक्निडे, अपोडिडे, कुकुलिडे, रैलिडे, कोलंबिडे, चराड्रिडे, ग्लैरेओलिडे, सिकोनिडे, आर्डेडे, एनहिंगिडे, अलसेडिनिडे, स्ट्रिगिडे, ट्रोगोनिडे, मेरोपिडे, पिकिडे, मेगालैमिडे, पिटिडे, टर्डिडे मस्किकैपिडे, पेलोर्निडे, सिल्विडे, आदि के परिवारों से सम्मिलित हैं। कुछ प्रमुख पक्षियों में ग्रे जंगलफॉवल (*गैलस सोनेराटी*), इंडियन पीफॉवल (*पावो क्रिस्टेटस*), लेसर व्हिसलिंग-डक (*डेंड्रोसाइग्ना जावानिका*), इंडियन स्पॉट-बिल्ड डक (*अनस पोएसिलोरहिंचा*), नॉर्दर्न पिंटेल (*अनस एक्यूटा*), जंगल नाइटजर (*कैप्रिमुलगस इंडिकस*), भारतीय नाइटजर (*कैप्रिमुलगस*

एशियाटिकस), सवाना नाइटजर (*कैप्रिमुलगस एफिनिस*), क्रेस्टेड ट्रीस्विफ्ट (*हेमिप्रोकने कोरोनेट*), एशियन पाम-स्विफ्ट (*साइप्सियुरस बालासिएन्सिस*), अल्पाइन स्विफ्ट (*टैचीमार्पटिस मेल्बा*), लिटिल स्विफ्ट (*एपस एफिनिस*), कॉमन हॉक-कुक्कू (*हायरोकोक्सीक्स वेरियस*), ड्रोंगो कुक्कू (*सर्निकुलस लुगुब्रिस*), ग्रेटर कूकल (*सेंट्रोपस साइनेंसिस*), हरा इंपीरियल-कबूतर (*ड्रुकुला एनेया*), पीले पैरों वाला हरा-कबूतर (*ट्रेरॉन फोनीकोप्टेरस*), लिटिल रिंग्ड प्लोवर (*चराड्रियस डबियस*), रिवर टर्न (*स्टर्ना औरांतिया*), मलायन नाइट हेरॉन (*गोसैंचियस मेलानोलोफस*), ग्रेट एग्रेट (*अर्डिया अल्बा*), इंडियन कॉर्मोरेंट (*फैलाक्रोकोरैक्स फ्यूसीकोलिस*), ब्लैक-विंग्ड काइट (*एलानस कैर्यूलस*), ब्लैक ईगल (*इक्टिनाटस मैलाएंसिस*), बार्न उल्लू (*टायटो अल्बा*), मालाबार ग्रे हॉर्नबिल (*ओसीसेरोस ग्रिसियस*), मालाबार बारबेट (*साइलोपोगोन मालाबारिकस*), मालाबार तोता (*सिटाकुला कोलंबोइड्स*), फ्लेम-थ्रोटेड बुलबुल (*रूबिगुला गुलारिस*), सहित कई अन्य सम्मिलित हैं।

और जबकि, शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य कई महत्वपूर्ण सरीसृप प्रजातियों का आश्रय स्थल है जैसे कि कोचीन बस बेंत कछुआ (*विजयचेलीस सिल्वेटिका*), भारतीय काला कछुआ (*मेलानोचेलीस ट्राइजुगा*), भारतीय रॉक पायथन (*पायथन मोलुरस*), त्रावणकोर कछुआ (*इंडोटेस्टुडो त्रावणकोरिका*), नारंगी होंठ वाली वन छिपकली (*माइक्रोऑरिस ऑरेंटोलैबियम*), भारतीय कंगारू छिपकली (*ओटोक्रिप्टिस बेडडोमी*), कैंडी रॉक गेको (*सीनेमास्पिस कैंडियाना*), गोल्डन स्किंक (*यूट्रोपिस कैरिनाटा*), कैप्टनस वुड स्नेक (*ज़ाइलोफिस कैप्टानी*), कॉमन कुकरी स्नेक (*ओलिगोडोन अर्नेंसिस*), कॉमन वुल्फ स्नेक (*लाइकोडोन ऑलिकस*), गुंथर वाइन स्नेक (*अहेतुल्ला डिस्पर*), हंप-नोज़्ड पिट वाइपर (*हाइपनेल हाइपनेल*), आदि।

और जबकि, शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य में महत्वपूर्ण उभयचर प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला है जैसे कि भारतीय मेंढ़क (*दत्तफ्रीनस पैरिएटलिस*), मालाबार ट्री मेढक (*पेडोस्टिब्स ट्यूबरकुलोसस*), केरल वार्ट मेंढक (*मिनर्वारिया केरलेंसिस*), कलक्कड़ डांसिंग मेंढक (*मिक्रिक्सलस फ्यूस्कस*), भारतीय बैंगनी मेंढक (*नासिकबत्राचस सह्याद्रेंसिस*), कलक्कड़ नाइट मेंढक (*निक्टिबात्राचस वसंथी*), ब्रोंज्ड मेंढक (*इंडोसिलविराना टेम्पोरलिस*), येलो ट्री मेंढक (*पॉलीपेडेट्स स्यूडोक्रूसिगर*), स्मॉल बुश मेंढक (*राओर्चेस्टेस छोटा*), स्मॉल बुश मेंढक (*राओर्चेस्टेस छोटा*), मालाबार ग्लाइडिंग मेंढक (*राकोफोरस मालाबारिकस*), इत्यादि।

और जबकि, शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाने वाली मछली प्रजातियों में नीडलफिश (*ज़ेनेंटोडोन कैन्सिला*), वेस्टर्न घाट लोच (*भवनिया ऑस्ट्रेलिस*), जेर्डन कार्प (*हाइपसेलोबारबस जेरडोनी*), टिक्टो बार्ब (*पेथिया टिक्टो*), रोहू (*लेबियो रोहिता*), लॉन्ग स्नाउटेड बार्ब (*पुंटियस डॉर्सालिस*), इलायची हिल्स रिवर लोच (*इंडोरोनेक्टेस केरलेंसिस*), मालाबार स्नेकहेड (*चन्ना डिप्लोमा*), पीली कैटफ़िश (*होराबाग्रस ब्राचिसोमा*), मालाबार बटर कैटफ़िश (*ओमपोक मालाबारिकस*), ज़िग-ज़ैग ईल (*मास्टासेम्बेलस आर्मेटस*), इत्यादि शामिल हैं।

और जबकि, शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाने वाली तितली प्रजातियों में फाइव-बार स्वॉर्ड टेल (*ग्रैफियम एंटीफेट्स*), मालाबार रोज़ (*पचलियोप्टा पांडियाना*), रेड हेलेन (*पैपिलियो हेलेनस*), चॉकलेट अल्बाट्रॉस (*एपियास लिन्सीडा*), कॉमन गल (*सेफोरा नेरिसा*), पेरिस पीकॉक (*पैपिलियो पेरिस*), वन-स्पॉट ग्रास येलो (*यूरेमा एंडरसन*), नीलगिरी ग्रास येलो (*यूरेमा नीलगिरीएंसिस*), डार्क वांडरर (*पेरेरोनिया सीलोनिका*), कॉमन सार्जेंट (*एथिमा पेरियस*), सदर्न रस्टिक (*कूफा एरिमैन्थिस*), ऑटम लीफ (*डोलेशैलिया बिसाल्टाइड*), मालाबार ट्री निम्फ (*आइडिया मालाबारिका*), बैम्बू ट्री ब्राउन (*लेथे यूरोपा*), रेड डिस्क बुश ब्राउन (*माइकैलेसिस ओकुलस*), एक्स्ट्रा लस्कर (*पैंटोपोरिया सैंडाका*), ब्लैक प्रिंस (*रोहाना पैरिसैटिस*), पलनी फोरिंग (*यथ्थिमा यथ्थिमोइड्स*), प्लेन हेज ब्लू (*सेलेस्टिना लैवेंडुलैरिस*), प्लम्बियस सिल्वर लाइन (*सिगरेटिस शिस्टेसिया*), एंगल्ड पिग्रोट (*कैलेटा कैलेटा*), लार्ज गवावा ब्लू (*ज्यूडोरिक्स स्मिलिस*), पी ब्लू (*लैम्पाइड्स बोएटिकस*), व्हाइट-टिप्ड लाइन ब्लू (*प्रोसोटास नोरिया*), मंकी पज़ल (*रथिंडा अमोर*), रेड पिग्रोट (*टैलिकाडा निसेअस*), कूर्ग फॉरेस्ट होप्पे (*अर्नेटा मरकरा*), राइस स्विफ्ट (*बोरबो सिन्नारा*), मालाबार स्पॉटेड फ़्लैट (*सेलेनोरिनस अंबरीसा*), सीलोन ऐस (*हाल्पे होमोलिया*), तमिल डार्टलेट (*ओरियंस कॉन्सिना*), फुलवस पाइड फ़्लैट (*प्यूडोकोलाडेनिया डान*), स्मॉल पाम बॉब (*सुआस्टस मिनुटा*), सदर्न स्पॉटेड ऐस (*थोरेसा एस्टिगमाटा*), एवरशेड ऐस (*थोरेसा एवरशेडी*), मद्रास ऐस (*थोरेसा होनोरेई*), इत्यादि सम्मिलित हैं।

और जबकि, शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य वनस्पतियों और जीवों दोनों की विभिन्न दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त (आरईटी) प्रजातियों को आश्रय देता है। कुछ आरईटी वनस्पतियों में लार्ज कैप-फ्लावर (*मित्रेफोरा ग्रैंडिफ्लोरा*), रीड्स केपर (*कैपारिस बदुक्का*), मैंगोस्टीन (*गार्सिनिया रूब्रो-इचिनाटा*), नीरकुरुन्था (*ब्लेफेरिस्टेम्मा सेराटम*), मेरुवलन (*डायस्पायरोस कोर्टलुमेंसिस*), अवुक्करिम (*सेमेकार्पस ट्रैवनकोरिका*), कुलवु (*किंगियोडेंड्रोन पिन्नाटम*), आदि। कुछ प्रसिद्ध आरईटी जीवों में एशियाई हाथी (*एलिफस मैक्सिमस*), मालाबार स्लेंडर लोरिस (*लोरिस लिडेकेरियानस*), नीलगिरि लंगूर (*सेमनोपिथेकस जॉनी*), स्मूथ-कोटेड ओटर (*लुट्रोगेल पर्सपिसिलाटा*), स्टेपी ईगल (*एक्विला निपलेंसिस*), लार्ज-बिल्ड लीफ वार्बलर (*फिलोस्कोपस मैग्निरोस्ट्रिस*), नीलगिरि फ्लाईकैचर (*यूमियास अल्बिकाडेटस*), त्रावणकोर कछुआ (*इंडोटेस्टुडो त्रावणकोरिका*), किंग कोबरा (*ओफियोफैगस हन्ना*), केरल नाइट फ्रॉग (*निक्टिबैट्राचस माइनर*), वॉटर ड्रॉप बुश फ्रॉग (*राओर्चेस्टेस नेरोस्टागोना*), कलाकड़ ग्लाइडिंग फ्रॉग (*राकोफोरस कैल्केडेंसिस*), भारतीय मोटल्ड ईल (*एंगुइला बेंगालेंसिस*),

रेड कैनारिस बार्ब (*हाइपसेलोबारबस थॉमासी*), त्रावणकोर बतासियो (*बाटासियो ट्रैवनकोरिका*), मोजाम्बिक तिलापिया (*ओरियोक्रोमिस मोसाम्बिकस*), कॉमन माइम (*पैपिलियो क्लिटिया*), मालाबार ट्री निम्फ (*आइडिया मालाबारिका*), ज्वेल फोरिंग (*यप्थिमा अवंता*), इत्यादि सम्मिलित हैं।

और जबकि, शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य की इस समृद्ध पुष्प और जीव जैव विविधता के प्रभावी संरक्षण और सुरक्षा के लिए, उद्यान की परिधि में मानवजनित दबाव की सीमा को विनियमित किया जाना है क्योंकि इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र से सटा क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन है और इस संरक्षित क्षेत्र पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है;

और जबकि, शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संरक्षित और सुरक्षित रखना आवश्यक है ताकि उसमें और परिदृश्य में वन्यजीव आवास में सुधार और विकास किया जा सके;

और जबकि, शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के आसपास के क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित रखना आवश्यक है, जिसे पैराग्राफ 1 में पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव विविधता के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्ग और उनके संचालन और प्रक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में आगे पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, केन्द्र सरकार, केरल के कोल्लम जिले के पुनालुर तालुक में शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2.65 किलोमीटर की औसत दूरी के साथ 0 किलोमीटर से 6.7 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इस अधिसूचना में आगे पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है, अर्थात्: -

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएँ-

(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन 0 किलोमीटर से 6.7 किलोमीटर तक होगा, जिसकी शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से औसत दूरी 2.65 किलोमीटर होगी और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल लगभग 118.279 वर्ग किलोमीटर है।

(2) शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

(3) शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र **अनुलग्नक-II क** और **अनुलग्नक-II ख** और **अनुलग्नक-II ग** में संलग्न हैं।

(4) शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर भू-निर्देशांक **अनुलग्नक-III** में संलग्न हैं।

(5) शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर तीन गाँव स्थित हैं, जिनका ब्यौरा **अनुलग्नक-IV** में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार तथा केंद्रीय और राज्य विधानों के सुसंगत और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, अनुरुप तैयार कि जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से कि जाएगी ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टिकोणों को एकीकृत किया जा सके.-

i. पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव;

ii. शहरी विकास;

iii. कृषि;

iv. पर्यटन;

v. नगरपालिका सामान्य सेवा

vi. भू-राजस्व;

vii. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

viii. सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग

(4) आंचलिक महायोजना में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, तथा आचंलिक महायोजना की सभी अवसंरचनाओं और उसके क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना, में वनरहित क्षेत्रों का पुर्नस्थापन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं का प्रावधान किया जाएगा, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा, सहायक मानचित्रों के साथ जिनमें विद्यमान तथा प्रस्तावित भू-उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों का निर्धारण किया जाएगा।

(7) इस आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विकास को विनियमित किया जायेगा और पैरा 4 में सूचीबद्ध प्रतिबंधित और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन किया जाएगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित किया जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जायेगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसरण में निगरानी के अपने कार्यों को पूरा करने के लिए निगरानी समिति के लिए संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय. - राज्य सरकार अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्: -

(1) भू-उपयोग. – (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का मुख्य वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी:

बशर्ते कि मॉनीटरी समिति की सिफारिश पर केंद्र तथा राज्य सरकार के शहरी नियोजन अधिनियम तथा अन्य नियमों एवं विनियमों यथा लागू, के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के पूर्व अनुमोदन से पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि के गैर कृषि उपयोग के रुपान्तरण को स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं और क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुमति दी गई है, जैसे,-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और मजबूत करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का सन्निर्माण और नवीनीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग सहित ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 के मद में यथा उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) सहित वर्तमान में लागू विधियों के उपबंधों के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के किसी भी उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मॉनीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

(ख)अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- सभी प्राकृतिक झरनों/नदियों/चैनलों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्धार की योजनाओं को आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किया जाएगा।

(3) **पर्यटन या पारि-पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारि-पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग द्वारा केरल सरकार के राजस्व एवं वन विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी;

(ग) पर्यटन महायोजना, आंचलिक महायोजना का घटक होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी;

(ङ) पारि-पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्: -

(i) पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी आवास के सिवाय पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर होटलों और रिसॉर्ट्स के नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

बशर्ते कि मौजूदा प्रतिष्ठानों के विस्तार की अनुमति आंचलिक महायोजना के अनुसार दी जा सकती है;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नई पर्यटन क्रियाकलापों या मौजूदा पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता अध्ययन के आधार पर पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास पर बाल देते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्र सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणों द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) जब तक इस आंचलिक महायोजना को अनुमोदित नहीं कर दिया जाता तब तक पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की अनुमति संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के द्वारा स्थल विशिष्ट जांच और निगरानी समितियों की सिफारिश के आधार पर दी जाएगी।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिज़र्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व की इमारतों, संरचनाओं, कलाकृतियों, क्षेत्र और परिसरों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने के भीतर तैयार की जाएगी और आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** –पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके संशोधनों के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम और उसके संशोधनों के अनुसार की जाएगी।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित अपशिष्टों का निर्वहन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के अधीन आने वाले पर्यावरण प्रदूषकों के निर्वहन के सामान्य मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा, -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा, जिसे भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित और समय-समय पर संशोधित किया गया है;

(ख) अकार्बनिक सामग्री को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर अभिज्ञात स्थल पर निपटाया जाएगा;

(ग) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाने या भस्म करने तथा लैंडफिल बनाने अनुमति नहीं होगी;

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट -** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा,-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना समय-समय पर संशोधित, सं. सा. का. नि. 343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी सामान्य उपचार सुविधा या भस्मीकरण की अनुमति नहीं होगी।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर संशोधित; अधिसूचना स. सा.का.नि. 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर संशोधित अधिसूचना स. सा.का.नि. 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम,2016 , समय-समय पर संशोधित; के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात -** सड़क-यातायात को पर्यावास अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण -** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईधनों जैसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां**- (क) आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमत किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा :-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची -शेंदुर्नी पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) तथा राज्य में प्रचलित अन्य अधिनियमों एवं नियमों के उपाबंधों द्वारा शासित होंगें। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले वन क्षेत्र विद्यमान वन विधियों के अधीन ही शासित होगें। इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में क्रियाकलापों का विनियमन नीचे दिए गए सारणीबद्ध स्तंभ के अनुसार किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं .	क्रियाकलाप	टिप्पणी
	क . प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और पिसाई इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए खुदाई सहित वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के अलावा, सभी नए और मौजूदा (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर खनन और पेराई इकाइयों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा ; (ख) खनन कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4 अगस्त, 2006 के आदेश (टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ के मामले में, रिट याचिका संख्या 202/1995) और तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश (गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में, रिट याचिका संख्या 435/2012); और आईए संख्या 1000 वर्ष 2003 तारीख 03 जून, 2022। आईए संख्या 131377 वर्ष 2022, तारीख 26 अप्रैल, 2023 और 28 अप्रैल, 2023 के निर्णय और आईए संख्या 162023, 162034, 162154 और 162155 वर्ष 2025 में तारीख 23 जुलाई 2025 के बाद के निर्णय या खनन के संबंध में कोई और आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
(2)	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या उसके विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में वर्णित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को ही अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न किया गया हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।
(3)	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
(4)	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
(5)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अशोधित बहिस्रावों का निस्सरण।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
(6)	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भस्मीकरण सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस अपशिष्ट उपचार या प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। औद्योगिक क्रियाओं और स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों या अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए आगे कोई साझा या व्यक्तिगत भस्मीकरण सुविधा स्थापित करना निषेध है।

(7)	फर्मों, कॉर्पोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
(8)	लकड़ी आधारित नए उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
(9)	विस्फोटक वस्तुओं का विनिर्माण और भंडारण।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
(10)	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पहाड़ों का परिवर्तन।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
(11)	नई सॉ मिलों की स्थापना की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या मौजूदा सॉ मिलों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(12)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
(13)	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
(14)	नदी तटों पर अतिक्रमण और नदी तट की वनस्पति का विनाश, नदी के पत्थरों का संग्रह।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
(15)	नदी और भूमि क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट या प्लास्टिक अपशिष्ट या रासायनिक अपशिष्ट से डम्पिंग ।	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त)।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
(16)	होटलों और रिज़ॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकट हो, किसी भी नए वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए छोटे अस्थायी ढाँचों के। बशर्ते, मौजूदा प्रतिष्ठानों के विस्तार की अनुमति आंचलिक महायोजना के अनुसार दी जायेगी ।
(17)	निर्माण क्रियाकलाप।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं होगी। परंतु कि स्थानीय लोगों को अपने आवासीय उपयोग के लिए अपनी भूमि पर भवन उपनियमों के अनुसार पैराग्राफ 6 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति होगी, जैसे: i. मौजूदा सड़कों का चौड़ा करना और सुदृढ़ीकरण तथा नई सड़कों का निर्माण; ii. बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण; iii. फरवरी 2016 के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योग; iv. ग्रामोद्योग सहित कुटीर उद्योग; होम स्टे सहित पारि-पर्यटन को बढ़ावा देने वाली सुलभ दुकान और स्थानीय सुविधाएं; और v. इस अधिसूचना में सूचीबद्ध प्रवर्तित क्रियाकलाप। ii. परंतु कि प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योगों से संबंधित निर्माण क्रियाकलापों को, लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन के साथ, न्यूनतम स्तर पर विनियमित किया जाएगा। iii. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगी।

(18)	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी 2016 ,में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार और अपरिसंकटमय, लघु पैमाने के और सेवा उद्योग, उद्यान कृषि या पुष्प कृषि या कृषि पारिस्थितिकी संवेदी जोन की देशज सामग्री से उत्पादों का उत्पादन करने वाले कृषि आधारित उद्योग को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी।
(19)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जा सकेगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी। ग. आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्य योजना के निर्देशों का पालन किया जाएगा।
(20)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(21)	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	भूमिगत केबल बिछाने संबंधी लागू विधियों के अधीन विनियमित करने को बढ़ावा दिया जाएगा।
(22)	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन के उपाय किये जाएगे।
(23)	मौजूदा सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों, घाटों, पुलों और पुलियाओं का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमन और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
(24)	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(25)	वाणिज्यिक मत्स्य पालन और अवैज्ञानिक मत्स्य पालन	लागू विधियों के अनुसार निषेध (अन्यथा अन्यथा उपाबंध के अतिरिक्त), हालांकि, जनजातियों के वास्तविक उपयोग के लिए अनुमति दी गई है।
(26)	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(27)	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए विनियमित होगा।
(28)	स्थानीय समुदायों द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
(29)	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में शोधित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सरण।	शोधित जल या बहिर्स्राव का जल निकायों में निस्सरण नहीं होने दिया जायेगा और शोधित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा शोधित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(30)	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(31)	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुला कुआं, बोरवेल आदि।	विनियमित और कार्यकलाप की सक्षम प्राधिकारी द्वारा कड़ाई से निगरानी की जाएगी।
(32)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(33)	विदेशी प्रजातियों का परिचय।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(34)	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

(35)	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर, इसे लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
(36)	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
(37)	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
(38)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(39)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(40)	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
(41)	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायो-गैस, सौर ऊर्जा इत्यादि को सक्रिय संवर्धन किया जाएगा ।
(42)	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(43)	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(44)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(45)	अवक्रमित भूमि या वनों या पर्यावासों की पुनर्बहाली।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(46)	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति:- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के अनुपालन की निगरानी हेतु शेंदुर्नी पारिस्थितिकी संवेदी जोन निगरानी समिति नामक एक समिति का गठन करती है। उप-अनुच्छेद (1) में निर्दिष्ट निगरानी समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पदनाम
(i)	जिला कलेक्टर, कोल्लम	अध्यक्ष;
(ii)	प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को केरल सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(iii)	केरल राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ को केरल सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(iv)	केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	वन्यजीव वार्डन, शेंदुर्नी	पदेन, सदस्यसचि-;

निगरानी समिति के कार्य-क्षेत्र -(i) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपाबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(ii) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(iii) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकालाप पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आती हैं, इसके पैराग्राफ 7 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर निगरानी समिति द्वारा जांच की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपाबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

(iv) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में सम्मिलित नहीं किए गए और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की निगरानी समिति द्वारा वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर जांच की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को अग्रेषित की जाएगी।

(v) निगरानी समिति के सदस्य सचिव पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के तहत इस अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(vi) मामले दर मामले की अपेक्षाओं के आधार पर निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को अपने विचार विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकता है।

(vii) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपाबंध-V में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को प्रस्तुत करेगी।

(vii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केन्द्र सरकार, निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

(ix) केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपाबंध को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हो, निर्दिष्ट कर सकती है।

(x) इस अधिसूचना के उपाबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/95/15-ईएसजेड-आरई]

डॉ सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक-'जी'

अनुलग्नक I

शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य का सीमा विवरण

उत्तर	अभयारण्य के उत्तरी भाग की सीमा तेनमाला वन प्रभाग की आर्यन और तेनमाला पर्वतमालाओं से लगती है, इस सीमा में रिया एस्टेट का एक भाग शामिल है।
उत्तर-पूर्व	अभयारण्य के उत्तर-पूर्व भाग की सीमा तमिलनाडु (नेल्लई वन्यजीव अभयारण्य) के साथ अंतरराज्यीय सीमा से लगती है।
पूर्व	अभयारण्य की पूर्वी सीमा तमिलनाडु (कलक्कड़ मुंडनथुराई बाघ अभयारण्य) के साथ अंतरराज्यीय सीमा से लगती है।
दक्षिण - पूर्व	दक्षिण-पूर्व भाग की सीमा तिरुवनंतपुरम प्रादेशिक प्रभाग से लगती है और पूर्व की ओर राज्य की सीमा तमिलनाडु से लगती है।
दक्षिण	अभयारण्य की दक्षिणी सीमा तिरुवनंतपुरम प्रादेशिक प्रभाग से लगती है।
दक्षिण-पश्चिम	अभयारण्य के दक्षिण-पश्चिम भाग की सीमा तेनमाला, तिरुवनंतपुरम प्रादेशिक वन प्रभाग और रॉकवुड एस्टेट से लगती है।
पश्चिम	अभयारण्य के पश्चिमी भाग की सीमा थेनमाला और पुनालुर प्रभागों की सीमा में कट्टिलापारा परिक्षेत्र भी शामिल है।
उत्तर- पश्चिम	अभयारण्य के उत्तर-पश्चिम की ओर थेनमाला की सीमा है।

शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र का सीमा विवरण

उत्तर	कलथेरिमाला (बिन्दु-1) के पास की बिन्दु से इसकी सीमा शुरू होती है, रिजर्व फॉरेस्ट की आम सीमा के साथ चलती है, फिर तिरुवनंतपुरम - शेनकोट्टा रोड को पार करती है और थेनमाला वन प्रभाग कार्यालय के पास एक बिंदु (बिंदु 2) पर पहुँचती है, वहाँ से सीमा रिया एस्टेट (रिया एस्टेट सहित) की उत्तरी सीमा के साथ मन्नानथारा की ओर तिरुवनंतपुरम - शेनकोट्टा रोड पर बिंदु 3 तक, फिर तिरुवनंतपुरम - शेनकोट्टा रोड के साथ काजुथुरुट्टी पुल (बिंदु 4) तक चलती है। वहाँ से, सीमा काजुथुरुट्टी नदी के साथ एडप्पलायम एल.पी.एस. के पास एक बिंदु तक चलती है। वहां से, सीमा आरक्षित वन सीमा के साथ-साथ, लेक्षमवीडु कॉलोनी, अरुणाध्याम कॉलोनी, थेवरकाडु कॉलोनी और अश्रया कॉलोनी को छोड़कर, काझुथुरुट्टी नदी के एक बिंदु तक और काझुथुरुट्टी नदी के साथ-साथ बिंदु 7 तक चलती है। फिर आरक्षित वन सीमा के साथ, पलारुवी परिक्षेत्र को छोड़कर, सीमा पलारुवी चेकपोस्ट पर और पलारुवी जलप्रपात मार्ग के साथ-साथ कडुवप्पारा थोडु तक पहुँचती है। फिर बिंदु 9 के माध्यम से कडुवप्पारा थोडु के साथ और वलियाचप्पथ थोडु सीमा के साथ-साथ अरियानकावु-रोसमाला मार्ग पर बिंदु 10 पर पहुँचती है। इसलिए, अरियानकावु-रोसमाला सड़क के साथ राजकूप्पु सीमा पर बिंदु 11 तक। फिर पलारुविथोडु के साथ बिंदु 12 तक और फिर राजकूप्पु सीमा के साथ बिंदु 13 से होते हुए, सीमा अंतरराज्यीय सीमा (बिंदु 14) तक पहुँचती है।
उत्तर-पूर्व	अंतरराज्यीय सीमा।
पूर्व	अंतरराज्यीय सीमा।
दक्षिण -पूर्व	सीमा करिमाला कडक्कल (बिंदु 37) से शुरू होकर अंतरराज्यीय सीमा के साथ-साथ पोंगुमलाई आर (बिंदु 38) तक चलती है।
दक्षिण	पोंगुमलाई आर से सीमा थेक्कुमाला आर के साथ-साथ चलती है और फिर जहाँ सीमा उत्तर दिशा में चलती है, वहाँ थेक्कुमाला खंड की दक्षिण-पश्चिम सीमा के साथ-साथ कोल्लम-तिरुवनंतपुरम जिला सीमा, फिर कुरुकोराट्टी आर से कुलथुपुझा आर (बिंदु 43) तक जाती है।
दक्षिण-पश्चिम	बिंदु 43 से, कुलथुपुझा नदी के दाहिने कायवाझी के साथ और बागान सीमा के साथ-साथ बिंदु 44 से 53 तक कुलथुपुझा नदी (बिंदु 54) तक। फिर कुलथुपुझा नदी के किनारे-किनारे मीनमुट्टी (बिंदु 55) तक। मीनमुट्टी से, सीमा आरपीएल सीमा के साथ-साथ चलती है और
पश्चिम	नेदुवन्नूरकाडवु के पास तिरुवनंतपुरम-तेनमाला मार्ग तक डैम जंक्शन तक जाती है। इराप्पानार तक 150 मीटर की दूरी तक डैम-पाथेक्कर रोड के साथ चलती है।

अनुलग्नक II क

शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र और महत्वपूर्ण मार्ग बिंदुओं के भू-निर्देशांक

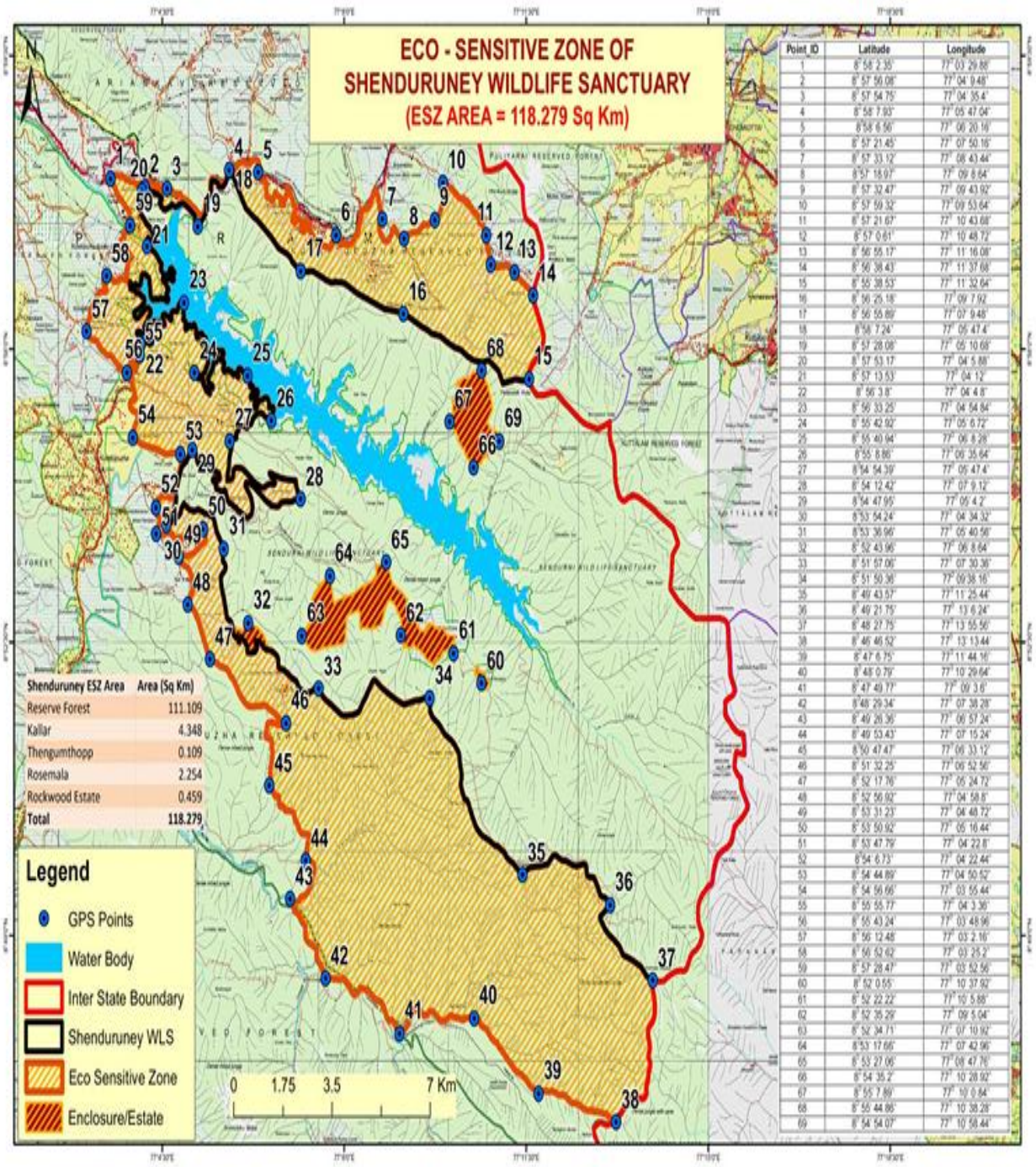

अनुलग्नक II ख

शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का स्थलाकृतिक मानचित्र

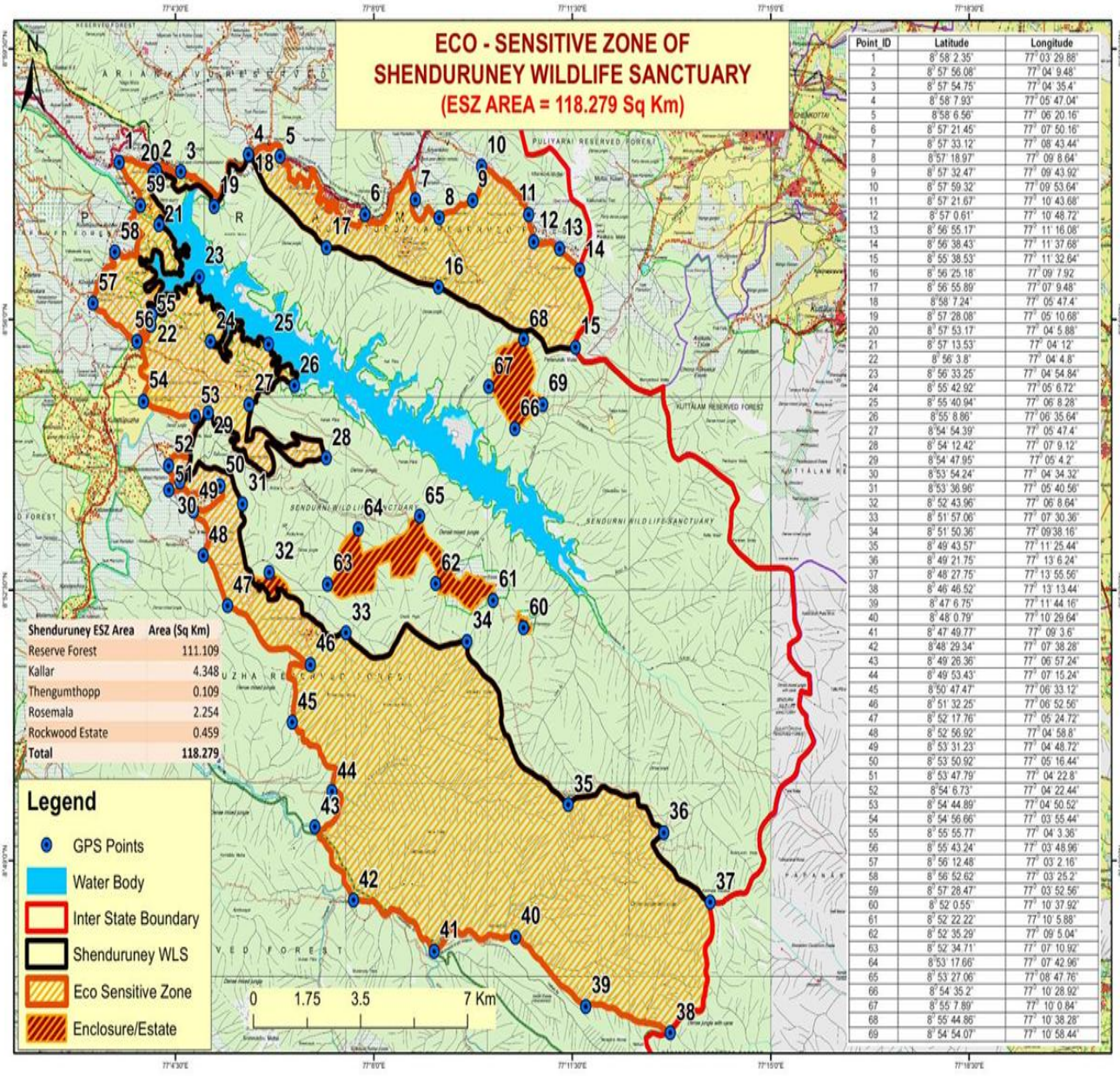

Point_ID	Latitude	Longitude
1	8° 58' 2.35"	77° 03' 29.88"
2	8° 57' 56.08"	77° 04' 9.48"
3	8° 57' 54.75"	77° 04' 35.4"
4	8° 58' 7.93"	77° 05' 47.04"
5	8°58' 6.56"	77° 06' 20.16"
6	8° 57' 21.45"	77° 07' 50.16"
7	8° 57' 33.12"	77° 08' 43.44"
8	8°57' 18.97"	77° 09' 8.64"
9	8° 57' 32.47"	77° 09' 43.92"
10	8° 57' 59.32"	77° 09' 53.64"
11	8° 57' 21.67"	77° 10' 43.68"
12	8° 57' 0.61"	77° 10' 48.72"
13	8° 56' 55.17"	77° 11' 16.08"
14	8° 56' 38.43"	77° 11' 37.68"
15	8° 55' 38.53"	77° 11' 32.64"
16	8° 56' 25.18"	77° 09' 7.92"
17	8° 56' 55.89"	77° 07' 9.48"
18	8°58' 7.24"	77° 05' 47.4"
19	8° 57' 28.08"	77° 05' 10.68"
20	8° 57' 53.17"	77° 04' 5.88"
21	8° 57' 13.53"	77° 04' 12"
22	8° 56' 3.8"	77° 04' 4.8"
23	8° 56' 33.25"	77° 04' 54.84"
24	8° 55' 42.92"	77° 05' 6.72"
25	8° 55' 40.94"	77° 06' 8.28"
26	8°55' 8.86"	77° 06' 35.64"
27	8°54' 54.39"	77° 05' 47.4"
28	8° 54' 12.42"	77° 07' 9.12"
29	8°54' 47.95"	77° 05' 4.2"
30	8°53' 54.24"	77° 04' 34.32"
31	8°53' 36.96"	77° 05' 40.56"
32	8° 52' 43.96"	77° 06' 8.64"
33	8° 51' 57.06"	77° 07' 30.36"
34	8° 51' 50.36"	77° 09'38.16"
35	8° 49' 43.57"	77° 11' 25.44"
36	8° 49' 21.75"	77° 13' 6.24"
37	8° 48' 27.75"	77° 13' 55.56"
38	8° 46' 46.52"	77° 13' 13.44"
39	8° 47' 6.75"	77° 11' 44.16"
40	8° 48' 0.79"	77° 10' 29.64"
41	8° 47' 49.77"	77° 09' 3.6"
42	8°48' 29.34"	77° 07' 38.28"
43	8° 49' 26.36"	77° 06' 57.24"
44	8° 49' 53.43"	77° 07' 15.24"
45	8°50' 47.47"	77° 06' 33.12"
46	8° 51' 32.25"	77° 06' 52.56"
47	8° 52' 17.76"	77° 05' 24.72"
48	8° 52' 56.92"	77° 04' 58.8"
49	8° 53' 31.23"	77° 04' 48.72"
50	8° 53' 50.92"	77° 05' 16.44"
51	8° 53' 47.79"	77° 04' 22.8"
52	8°54' 6.73"	77° 04' 22.44"
53	8° 54' 44.89"	77° 04' 50.52"
54	8° 54' 56.66"	77° 03' 55.44"
55	8° 55' 55.77"	77° 04' 3.36"
56	8° 55' 43.24"	77° 03' 48.96"
57	8° 56' 12.48"	77° 03' 2.16"
58	8° 56' 52.62"	77° 03' 25.2"
59	8° 57' 28.47"	77° 03' 52.56"
60	8° 52' 0.55"	77° 10' 37.92"
61	8° 52' 22.22"	77° 10' 5.88"
62	8° 52' 35.29"	77° 09' 5.04"
63	8° 52' 34.71"	77° 07' 10.92"
64	8°53' 17.66"	77° 07' 42.96"
65	8° 53' 27.06"	77° 08' 47.76"
66	8° 54' 35.2"	77° 10' 28.92"
67	8° 55' 7.89"	77° 10' 0.84"
68	8° 55' 44.86"	77° 10' 38.28"
69	8° 54' 54.07"	77° 10' 58.44"

अनुलग्नक II ग

शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल अर्थ मानचित्र

अनुलग्नक III

सारणी क: शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक मानचित्र पर दर्शाए गए हैं।

क्र .स.	स्थान	अक्षांश	देशान्तर
1	एट्टापडप्पु बीट	8°56′20.4″उ	77°9′11.2″पू
2	एट्टापडप्पु बीट	8°55′46.7″उ	77°10′49.9″पू
3	एट्टापडप्पु बीट	8°55′33.4″उ	77°11′36.4″पू
4	एट्टापडप्पु बीट	8°55′0.0″उ	77°13′9.1″पू
5	एट्टापडप्पु बीट	8°54′5.7″उ	77°13′25.5″पू
6	एट्टापडप्पु बीट	8°53′34.5″उ	77°14′28.6″पू
7	एट्टापडप्पु बीट	8°52′39.0″उ	77°15′23.9″पू
8	एट्टापडप्पु बीट	8°51′47.7″उ	77°15′32.7″पू
9	एट्टापडप्पु बीट	8°51′18.8″उ	77°15′43.4″पू
10	एट्टापडप्पु बीट	8°51′5.6″उ	77°15′35.2″पू
11	एट्टापडप्पु बीट	8°50′29.0″उ	77°15′47.9″पू
12	कलमक्कुन्नु बीट	8°58′2.0″उ	77°5′57.1″पू
13	कलमक्कुन्नु बीट	8°57′35.0″उ	77°6′8.4″पू
14	कलमक्कुन्नु बीट	8°56′50.3″उ	77°7′13.0″पू
15	कलमक्कुन्नु बीट	8°56′42.9″उ	77°7′46.3″पू
16	कलमक्कुन्नु बीट	8°56′52.5″उ	77°4′44.3″पू
17	कलमक्कुन्नु बीट	8°56′55.0″उ	77°4′32.6″पू
18	कलमक्कुन्नु बीट	8°57′8.2″उ	77°4′15.5″पू
19	कलमक्कुन्नु बीट	8°57′12.8″उ	77°4′25.1″पू
20	कलमक्कुन्नु बीट	8°57′48.1″उ	77°4′9.3″पू
21	कलमक्कुन्नु बीट	8°57′49.0″उ	77°4′28.9″पू
22	कलमक्कुन्नु बीट	8°57′33.5″उ	77°4′47.7″पू
23	कलमक्कुन्नु बीट	8°57′26.4″उ	77°5′21.8″पू
24	कलमक्कुन्नु बीट	8°57′55.3″उ	77°5′36.3″पू
25	कल्लूवरम्बु बीट	8°49′31.3″उ	77°15′7.8″पू
26	कल्लूवरम्बु बीट	8°48′55.4″उ	77°14′56.5″पू
27	कल्लूवरम्बु बीट	8°49′22.3″उ	77°14′12.1″पू
28	कल्लूवरम्बु बीट	8°49′6.7″उ	77°12′58.6″पू
29	कल्लूवरम्बु बीट	8°49′45.7″उ	77°12′38.1″पू
30	कल्लूवरम्बु बीट	8°49′52.4″उ	77°12′7.1″पू
31	कल्लूवरम्बु बीट	8°49′38.1″उ	77°11′28.3″पू
32	कल्लूवरम्बु बीट	8°50′12.0″उ	77°10′35.7″पू
33	कल्लूवरम्बु बीट	8°51′7.3″उ	77°10′14.4″पू
34	कल्लूवरम्बु बीट	8°51′45.2″उ	77°9′41.7″पू
35	कल्लूवरम्बु बीट	8°51′57.8″उ	77°8′38.2″पू
36	कल्लूवरम्बु बीट	8°51′33.1″उ	77°8′19.9″पू
37	कल्लूवरम्बु बीट	8°51′51.6″उ	78°10′33.6″पू
38	कल्लूवरम्बु बीट	8°52′25.6″उ	77°6′20.5″पू
39	कल्लूवरम्बु बीट	8°53′11.2″उ	77°5′40.7″पू
40	कल्लूवरम्बु बीट	8°53′52.3″उ	77°5′33.0″पू

41	कल्लूवरम्बु बीट	8°54′48.9″उ	77°4′37.3″पू
42	कल्लूवरम्बु बीट	8°54′41.2″उ	77°5′9.4″पू
43	कल्लूवरम्बु बीट	8°53′24.7″उ	77°5′39.2″पू
44	कल्लूवरम्बु बीट	8°54′54.0″उ	77°6′12.3″पू
45	कल्लूवरम्बु बीट	8°54′19.2″उ	77°6′10.3″पू
46	कल्लूवरम्बु बीट	8°54′1.7″उ	77°6′45.7″पू
47	कल्लूवरम्बु बीट	8°54′7.1″उ	77°7′12.7″पू
48	कल्लूवरम्बु बीट	8°54′25.7″उ	77°6′38.5″पू
49	कल्लूवरम्बु बीट	8°54′29.6″उ	77°5′58.1″पू
50	कल्लूवरम्बु बीट	8°54′49.2″उ	77°5′51.5″पू
51	कल्लूवरम्बु बीट	8°55′8.7″उ	77°6′23.0″पू
52	कल्लूवरम्बु बीट	8°55′13.0″उ	77°6′36.4″पू
53	कल्लूवरम्बु बीट	8°55′12.5″उ	77°6′19.8″पू
54	कल्लूवरम्बु बीट	8°55′19.4″उ	77°6′15.8″पू
55	कल्लूवरम्बु बीट	8°55′32.9″उ	77°6′11.9″पू
56	कल्लूवरम्बु बीट	8°55′34.8″उ	77°6′1.3″पू
57	कल्लूवरम्बु बीट	8°55′39.0″उ	77°5′44.2″पू
58	कल्लूवरम्बु बीट	8°55′52.3″उ	77°5′44.0″पू
59	कल्लूवरम्बु बीट	8°55′50.2″उ	77°5′36.2″पू
60	कल्लूवरम्बु बीट	8°55′27.1″उ	77°5′31.6″पू
61	कल्लूवरम्बु बीट	8°55′22.5″उ	77°5′28.3″पू
62	कल्लूवरम्बु बीट	8°55′37.5″उ	77°5′10.8″पू
63	कल्लूवरम्बु बीट	8°55′54.5″उ	77°5′25.6″पू
64	कल्लूवरम्बु बीट	8°55′59.7″उ	77°5′17.9″पू
65	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′2.8″उ	77°5′13.4″पू
66	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′12.2″उ	77°5′10.4″पू
67	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′8.8″उ	77°5′0.5″पू
68	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′16.2″उ	77°4′57.4″पू
69	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′28.9″उ	77°4′57.2″पू
70	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′21.9″उ	77°4′50.2″पू
71	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′15.5″उ	77°4′43.1″पू
72	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′19.1″उ	77°4′34.0″पू
73	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′11.9″उ	77°4′36.2″पू
74	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′5.2″उ	77°4′20.7″पू
75	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′58.8″उ	77°4′21.1″पू
76	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′0.2″उ	77°4′14.4″पू
77	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′6.2″उ	77°4′4.1″पू
78	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′10.9″उ	77°4′12.6″पू
79	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′22.8″उ	77°4′19.2″पू
80	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′17.0″उ	77°4′2.7″पू
81	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′30.5″उ	77°4′12.6″पू
82	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′41.8″उ	77°4′55.7″पू
83	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′48.3″उ	77°4′10.7″पू
84	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′30.8″उ	77°4′21.2″पू
85	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′29.0″उ	77°4′39.5″पू
86	कल्लूवरम्बु बीट	8°56′45.5″उ	77°4′34.3″पू

सारणी ख : शेंदुर्नी डब्ल्यूएलएस के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ प्रमुख स्थान का अक्षांश-देशांतर मानचित्र पर दिखाया गया है।

पहचान बिन्दु	अक्षांश	देशांतर
1	8°58’2.35”	77°03’29.88”
2	8°57’56.08”	77°04’9.48”
3	8°57’54.75”	77°04’35.4”
4	8°58’7.93”	77°05’47.04”
5	8°58’6.56”	77°06’20.16”
6	8°57’21.45”	77°07’50.16”
7	8°57’33.12”	77°08’ 43.44”
8	8°57’18.97”	77°09’8.64”
9	8°57’32.47”	77°09’43.92”
10	8°57’59.32”	77°09’53.64”
11	8°57’21.67”	77°10’43.68”
12	8°57’0.61”	77°10’48.72”
13	8°56’55.17”	77°11’16.08”
14	8°56’38.43”	77°11’37.68”
15	8°55’38.53”	77°11’32.64”
16	8°56’25.18”	77°09’7.92’
17	8°56’55.89”	77°07’9.48”
18	8°58’7.24”	77°05’47.4”
19	8°57’28.08”	77°05’10.68”
20	8°57’53.17’	77°04’5.88”
21	8°57’13.53”	77°04’12”
22	8°56’3.8”	77°04’4.8”
23	8°56’33.25”	77°04’54.84”
24	8°55’42.92”	77°05’6.72”
25	8°55’40.94”	77°06’8.28”
26	8°55’8.86”	77°06’35.64”
27	8°54’54.39”	77°05’47.4”
28	8°54’12.42”	77°07’ 9.12”
29	8°54’47.95”	77°05’4.2”
30	8°53’54.24”	77°04’34.32”
31	8°53’36.96”	77°05’40.56”
32	8°52’43.96”	77°06’8.64”
33	8°51’57.06”	77°07’30.36”
34	8°51’50.36”	77°09’38.16”
35	8°49’43.57”	77°11’ 25.44”
36	8°49’21.75”	77°13’6.24”
37	8°48’27.75”	77°13’55.56”
38	8°46’46.52”	77°13’13.44’
39	8°47’6.75”	77°11’ 44.16”
40	8°48’0.79”	77°10’29.64”

41	8°47’49.77”	77°09’3.6”
42	8°48’29.34”	77°07’38.28”
43	8°49’26.36”	77°06’57.24”
44	8°49’53.43”	77°07’15.24”
45	8°50’47.47”	77°06’33.12”
46	8°51’32.25”	77°06’52.56”
47	8°52’17.76”	77°05’24.72”
48	8°52’56.92”	77°04’58.8”
49	8°53’31.23”	77°04’48.72”
50	8°53’50.92”	77°05’16.44”
51	8°53’47.79”	77°04’22.8”
52	8°54’ 6.73”	77°04’22.44”
53	8°54’44.89”	77°04’50.52”
54	8°54’56.66”	77°03’55.44”
55	8°55’55.77’	77°04’3.36”
56	8°55’43.24”	77°03’48.96’
57	8°56’12.48’	77°03’2.16”
58	8°56’52.62’	77°03’25.2”
59	8°57’28.47”	77°03’52.56”
60	8°52’0.55’’	77°10’37.92”
61	8°52’22.22”	77°10’5.88”
62	8°52’35.29”	77°09’5.04”
63	8°52’34.71”	77°07’10.92”
64	8°53’17.66”	77°07’42.96”
65	8°53’27.06”	77°08’47.76”
66	8° 54’ 35.2”	77°10’28.92”
67	8°55’7.89”	77°10’0.84”
68	8°55’44.86”	77°10’38.28”
69	8°54’54.07”	77°10’58.44”

अनुलग्नक IV

शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले गाँवों की सूची और भू-निर्देशांक

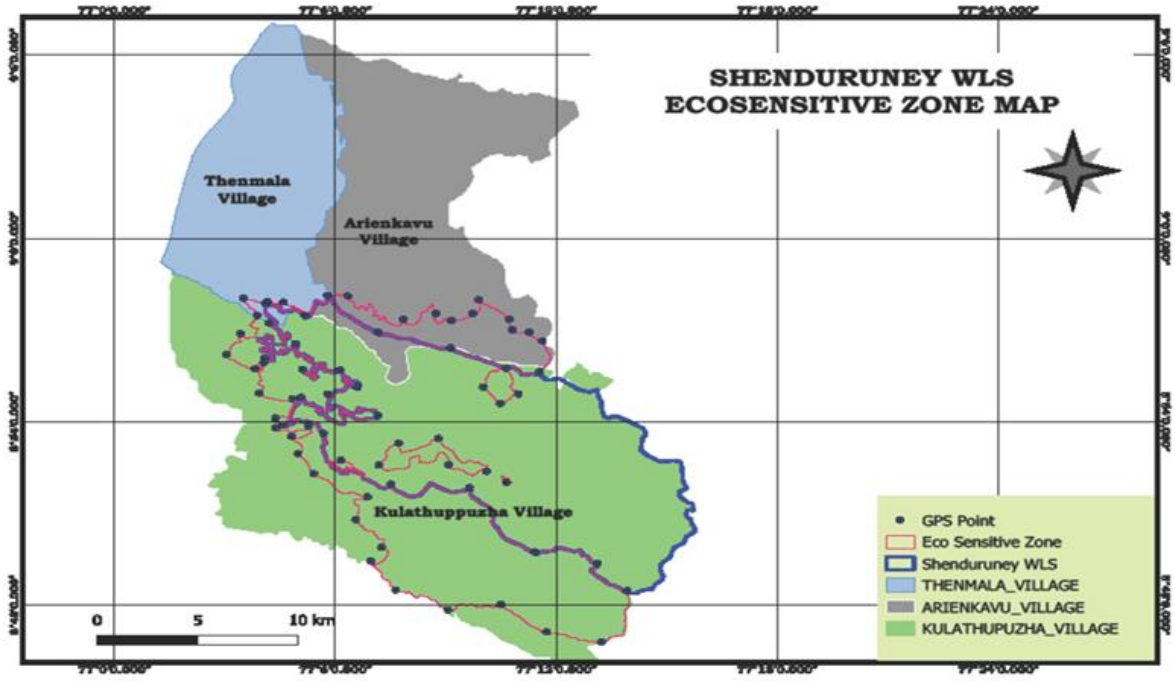

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गांवों की प्रमुख सीमाओं के भू-निर्देशांक

क्र.स.	गाँव का नाम	गाँव के प्रकार	तालुक	जिला	अक्षांश (उ)	देशान्तर (पू)
1	आर्यकावु	राजस्व	पुनालुर	कोल्लम	8°58’7.93”	77° 05’47.04”
					8°58’ 6.56”	77° 06’20.16”
					8°57’21.45”	77°07’50.16”
					8°57’33.12”	77°08’43.44”
					8°57’18.97”	77° 09’8.64”
					8° 57’32.47”	77°09’43.92”
					8° 57’59.32”	77° 09’53.64”
					8° 57’21.67”	77° 10’43.68”
					8° 57’0.61”	77°10’48.72”
					8° 56’55.17”	77°11’16.08”
2	थेणमाला	राजस्व	पुनालुर	कोल्लम	8° 58’ 2.35”	77° 03’29.88”
					8° 57’ 56.08”	77°04’9.48”
					8° 57’54.75”	77° 04’35.4”
					8°57’28.47”	77°03’52.56”
					8°47’6.75”	77°11’44.16”

3	कुलाथुपुज़हा	राजस्व	पुनालुर	कोल्लम	8°48'0.79"	77°10'29.64"
					8°47'49.77"	77°09'3.6"
					8°48'29.34"	77°07'38.28"
					8° 49'26.36"	77°06'57.24"
					8° 52'17.76"	77°05'24.72"
					8° 52'56.92"	77°04'58.8"
					8° 53'31.23"	77°04'48.72"
					8° 55'55.77'	77°04'3.36"
					8° 55'43.24"	77°03'48.96'
					8° 56'12.48'	77°03'2.16"
					8° 56'52.62'	77°03'25.2"

अनुलग्नक V

कार्रवाई रिपोर्ट का प्रारूप - शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन निगरानी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत: कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक संलग्नक में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भूमि अभिलेखों में स्पष्ट त्रुटि के सुधार से संबंधित मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकता है।
5. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार (विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकता है)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार (विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकता है)
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम अधिनियम, 1986 की धारा 19 के तहत दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2026

S.O. 667(E).— The following draft notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Shendurney Wildlife Sanctuary is located between 8°44' to 9°14'N latitude and 76°59' to 77°16'E longitudes in the Punalur Taluk (Former Pathanapuram Taluk) of Kollam District in Kerala, with an area of 172.403 sq. km. The Sanctuary is a part of the core area of the Agasthyamalai Biosphere Reserve and part of Periyar Elephant Reserve in the state of Kerala. The Sanctuary is named after the locally-named '*Chenkurinji*' tree which is endemic to this area and falls in Kulathupuzha reserved forests.

AND WHEREAS, the Shendurney Wildlife Sanctuary is home to a rich and diverse range of living organism. The tropical climate complimented by heavy rainfall from two monsoons and favourable edaphic factors creates an ideal condition for the flourishing growth of plant life. The forests of Shendurney Wildlife Sanctuary forms the catchment area of Kallada river, The water from Shendurney reservoir supports a large tract of agricultural lands in Kollam, Pathanamthitta and Alappuzha districts of Kerala.

AND WHEREAS, Myristica swamps are one of the unique ecosystems found in the tract. These swamps are the only sites of occurrence of certain members of the ancient family Myristicaceae such as Myristica fatua (Kothappayin) and Gymnacranthera farquhariana (Undappayin). These freshwater swamps play an important role in regulating the species diversity and abundance of both amphibians and reptiles.

AND WHEREAS, the continuity of Agasthyamalai hill ranges to the adjoining Pandalam hill ranges is through a narrow passage of the sanctuary and Thenmala Forest Division.

AND WHEREAS, angiosperm species identified from Shendurney Wildlife Sanctuary consist of 1293 species belonging to 122 families, out of which nearly 24.8 percent are endemic to the Western Ghats. Also, 52 species of fishes, 49 species of amphibians, 52 species of reptiles, 283 species of butterflies, 295 species of birds and 55 species of mammals of which over 30 percent species are endemic to the Western Ghats.

AND WHEREAS, diverse population of wildlife is present in the Shendurney Wildlife Sanctuary such as Asian Elephant (*Elephas maximus*), Malabar Slender Loris (*Loris lydekkerianus*), Bonnet Macaque (*Macaca radiata diluta*), Lion-tailed Macaque (*Macaca silenus*), Nilgiri Langur (*Semnopithecus johnii*), Gaur (*Bos gaurus*), Indian Pangolin (*Manis crassicaudata*), Sambar (Rusa unicolor), Malabar Giant Squirrel (*Ratufa indica*), Three-striped Palm Squirrel (*Funambulus palmarum*), Indian crested Porcupine (*Hystrix indica*), Fulvous Fruit Bat (*Rousettus leschenaultii*), Blyth's Horseshoe Bat (*Rhinolophus lepidus*), Brown Mongoose (*Herpestes fuscus*), Barking Deer (*Muntiacus muntjak*), Nilgiri striped squirrel (*Funambulus sublineatus*), Sloth bear (*Melursus ursinus*), Tiger (*Panthera tigris*), Leopard (*Panthera pardus*), etc.

AND WHEREAS, the Shendurney Wildlife Sanctuary is a treasure house of plant diversity. About 1293 species of flowering plants belonging to more than 122 families are reported from this sanctuary, representing nearly 28% of the total flowering plants estimated from Kerala. Major families of plant species include Annonaceae, Dilleniaceae, Menispermaceae, Clusiaceae, Euphorbiaceae, Phyllanthaceae, Loranthaceae, Lentibulariaceae, Celastraceae Malvaceae, Elaeocarpaceae, Sapindaceae, Rutaceae, Rubiaceae, Balsaminaceae, Acanthaceae, Lamiaceae, Apocynaceae, Begoniaceae, Urticaceae, Convolvulaceae, Vitaceae, Fabaceae, Myrtaceae, and Asteraceae, among others. Some of the important tree species include Single-Flowered Orophea (*Orophea uniflora*), Corky Debbar Tree (*Polyalthia suberosa*), Small-flowered Xylopia (*Xylopia parvifolia*), Nepali Elephant Apple (*Dillenia pentagyna*), Yellow Vine (*Coscinium fenestratum*), Malabar gulbel (*Tinospora sinensis*), Alpine Almond (*Hydnocarpus alpine*), Ceylon Ironwood (*Mesua ferrea*), Malabar Tamarind (*Garcinia gummi-gutta*), Narrow-flowered mallotus (*Mallotus resinosus*), South Indian Suregada (*Suregada lanceolate*), Indian Gooseberry (Phyllanthus emblica), Indian Bombax

(*Bombax ceiba*), Dhaman (*Grewia tiliifolia*), Rusty Kanak Champa (*Pterospermum rubiginosum*), Ceylon Oak (*Schleichera oleosa*), Wild Berry (*Maesa indica*) among several others.

AND WHEREAS, bird species of Shendurney Wildlife Sanctuary include from the families of Hemiprocnidae, Apodidae, Cuculidae, Rallidae, Columbidae, Charadriidae, Glareolidae, Ciconiidae, Ardeidae, Anhingidae, Alcedinidae, Strigidae, Trogonidae, Meropidae, Picidae, Megalaimidae, Pittidae, Turdidae, Muscicapidae, Pellorneidae, Sylviidae, etc. Some of the prominent bird includes Grey Junglefowl (*Gallus sonneratii*), Indian Peafowl (*Pavo cristatus*), Lesser Whistling-Duck (*Dendrocygna javanica*), Indian Spot-billed Duck (*Anas poecilorhyncha*), Northern Pintail (*Anas acuta*), Jungle Nightjar (*Caprimulgus indicus*), Indian Nightjar (*Caprimulgus asiaticus*), Savanna Nightjar (*Caprimulgus affinis*), Crested Treeswift (*Hemiprocne coronate*), Asian Palm-Swift (*Cypsiurus balasiensis*), Alpine Swift (*Tachymarptis melba*), Little Swift (*Apus affinis*), Common Hawk-Cuckoo (*Hierococcyx varius*), Drongo Cuckoo (*Surniculus lugubris*), Greater Coucal (*Centropus sinensis*), Green Imperial-Pigeon (*Ducula aenea*), Yellow-footed Green-Pigeon (*Treron phoenicopterus*), Little Ringed Plover (*Charadrius dubius*), River Tern (*Sterna aurantia*), Malayan Night Heron (*Gorsachius melanolophus*), Great Egret (*Ardea alba*), Indian Cormorant (*Phalacrocorax fuscicollis*), Black-winged Kite (*Elanus caeruleus*), Black Eagle (*Ictinaetus malaiensis*), Barn Owl (*Tyto alba*), Malabar Grey Hornbill (*Ocyceros griseus*), Malabar Barbet (*Psilopogon malabaricus*), Malabar Parakeet (*Psittacula columboides*), Flame-throated Bulbul (*Rubigula gularis*), among several other.

AND WHEREAS, the Shendurney Wildlife Sanctuary supports a wide range of important reptile species such as Cochin Forest Cane Turtle (*Vijayachelys sylvatica*), Indian Black Turtle (*Melanochelys trijuga*), Indian Rock Python (*Python molurus*), Travancore Tortoise (*Indotestudo travancorica*), Orange-lipped Forest Lizard (*Microauris aurantolabium*), Indian Kangaroo Lizard (*Otocryptis beddomii*), Kandy Rock Gecko (*Cnemaspis kandiana*), Golden Skink (*Eutropis carinata*), Captain's Wood Snake (*Xylophis captaini*), Common Kukri Snake (*Oligodon arnensis*), Common Wolf Snake (*Lycodon aulicus*), Gunther's Vine Snake (*Ahaetulla dispar*), Hump-nosed Pit Viper (*Hypnale hypnale*), etc.

AND WHEREAS, the Shendurney Wildlife Sanctuary supports a wide range of important amphibian species such as Indian Toad (*Duttaphrynus parietalis*), Malabar tree toad (*Pedostibes tuberculosus*), Kerala Wart Frog (*Minervarya keralensis*), Kalakkad Dancing Frog (*Micrixalus fuscus*), Indian Purple Frog (*Nasikabatrachus sahyadrensis*), Kalakkad Night Frog (*Nyctibatrachus vasanthi*), Bronzed Frog (*Indosylvirana temporalis*), Yellow Tree Frog (*Polypedates pseudocruciger*), Small Bush Frog (*Raorchestes chotta*), Small Bush Frog (*Raorchestes chotta*), Malabar Gliding Frog (*Rhacophorus malabaricus*), etc.

AND WHEREAS, the fish species found in the Shendurney Wildlife Sanctuary includes Needlefish (*Xenentodon cancila*), Western Ghats Loach (*Bhavania australis*), Jerdon's Carp (*Hypselobarbus jerdoni*), Ticto Barb (*Pethia ticto*), Rohu (*Labeo rohita*), Long Snouted Barb (*Puntius dorsalis*), Cardamom Hills River Loach (*Indoreonectes keralensis*), Malabar Snakehead (*Channa diplogramma*), Yellow catfish (*Horabagrus brachysoma*), Malabar Butter Catfish (*Ompok malabaricus*), Zig-zag Eel (*Mastacembelus armatus*), etc.

AND WHEREAS, the butterfly species found in the Shendurney Wildlife Sanctuary includes Five-Bar Sword Tail (*Graphium antiphates*), Malabar Rose (*Pachliopta pandiyana*),

Red Helen (*Papilio Helenus*), Chocolate Albatross (*Appias lyncida*), Common Gull (*Cepora Nerissa*), Paris Peacock (*Papilio paris*), One-Spot Grass Yellow (*Eurema andersonii*), Nilgiri Grass Yellow (*Eurema nilgiriensis*), Dark Wanderer (*Pareronia ceylonica*), Common Sergeant (*Athyma perius*), Southern Rustic (*Cupha erymanthis*), Autumn Leaf (*Doleschallia bisaltide*), Malabar Tree Nymph (*Idea malabarica*), Bamboo Tree Brown (*Lethe Europa*), Red Disk Bush Brown (*Mycalesis oculus*), Extra Lascar (*Pantoporia sandaka*), Black Prince (*Rohana parisatis*), Palni Fourring (*Ypthima ypthimoides*), Plain Hedge Blue (*Celestrina lavendularis*), Plumbeous Silver Line (*Cigaritis schistacea*), Angled Pierrot (*Caleta caleta*), Large Guava Blue (*Deudorix smilis*), Pea Blue (*Lampides boeticus*), White-Tipped Line Blue (*Prosotas noreia*), Monkey Puzzle (*Rathinda amor*), Red Pierrot (*Talicada nyseus*), Coorg Forest Hoppe (*Arnetta mercara*), Rice Swift (*Borbo cinnara*), Malabar Spotted Flat (*Celaenorrhinus ambareesa*), Ceylon Ace (*Halpe homolea*), Tamil Dartlet (Oriens concinna), Fulvous Pied Flat (*Psuedocoladenia dan*), Small Palm Bob (*Suastus minuta*), Southern Spotted Ace (*Thoressa astigmata*), Evershed's Ace (*Thoressa evershedi*), Madras Ace (*Thoressa honorei*), etc.

AND WHEREAS, the Shendurney Wildlife Sanctuary harbours various Rare, Endangered, and Threatened (RET) Species under both flora and fauna. Some RET Flora includes Large Cap-Flower (Mitrephora grandiflora), Rheed's Caper (Capparis baducca), Mangosteen (*Garcinia rubro-echinata*), Neerkuruntha (*Blepharistemma serratum*), Meruvalan (Diospyros courtallumensis), Avukkarim (*Semecarpus travancorica*), Kulavu (Kingiodendron pinnatum), etc. Some famous RET fauna includes Asian Elephant (*Elephas maximus*), Malabar Slender Loris (*Loris lydekkerianus*), Nilgiri Langur (*Semnopithecus johnii*), Smooth-coated Otter (*Lutrogale perspicillata*), Steppe Eagle (*Aquila nipalensis*), Large-billed Leaf Warbler (*Phylloscopus magnirostris*), Nilgiri Flycatcher (*Eumyias albicaudatus*), Travancore Tortoise (*Indotestudo travancorica*), King Cobra (*Ophiophagus Hannah*), Kerala Night Frog (*Nyctibatrachus minor*), Water drop Bush Frog (*Raorchestes nerostagona*), Kalakad gliding frog (*Rhacophorus calcadensis*), Indian Mottled Eel (*Anguilla bengalensis*), Red Canarese Barb (*Hypselobarbus thomassi*), Travancore

Batasio (*Batasio travancorica*), Mozambique Tilapia (*Oreochromis mossambicus*), Common Mime (*Papilio clytia*), Malabar Tree Nymph (*Idea malabarica*), Jewel Fourring (*Ypthima avanta*), etc.

AND WHEREAS, for effective conservation and protection of this rich floral and faunal biodiversity of Shendurney Wildlife Sanctuary, the extent of anthropogenic pressure in the periphery of the park has to be regulated as the immediate area adjoining this fragile ecosystem is ecologically sensitive and exert great impact on this Protected Area;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the areas around Shendurney Wildlife Sanctuary for improvement and development the wildlife habitat therein and in the landscape;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, surrounding the boundaries of Shendurney Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 kilometer to 6.7 kilometers, with a mean distance of 2.65 kilometers from the boundary of Shendurney Wildlife Sanctuary in Punalur Taluk of Kollam district in the Kerala as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone-

(1) The Eco-Sensitive Zone shall be to an extent varying from 0 kilometer to 6.7 kilometers, with a mean distance of 2.65 kilometers from the boundary of Shendurney Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is approximately 118.279 square kilometers.

(2) The boundary description of Shendurney Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is appended in Annexure-I.

(3) The Maps of the Eco sensitive Zone of Shendurney Wildlife Sanctuary are Appended as Annexure- II A, Annexure-II B and Annexure-II C.

(4) Geo Coordinates on the boundary of Shendurney Wildlife Sanctuary and its Eco sensitive zone are appended at Annexure-III**.**

(5) Three villages are located within the Eco-sensitive Zone of Shendurney Wildlife Sanctuary is appended at Annexure-IV.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone-

(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment, Forest, and Wildlife;

(ii) Rural Development

(iii) Agriculture;

(iv) Tourism;

(v) Municipal common service;

(vi) Land Revenue;

(vii) State Pollution Control Board

(viii) Irrigation and Public Works Department

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies, and the plan is supported by land use map.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of the local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the regional development plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government. - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture area, agriculture area, Parks and open spaces earmarked for recreation purposes in the ESZ shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agriculture and other land within the ESZ for the purpose other than that specified at part A, may be permitted on the recommendation of the Monitoring committee and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, such as

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new road;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and basic civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay;

(v) Promoted activities given in paragraph 4

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all natural springs / rivers / channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with the Department of Revenue and Forests, Government of Kerala;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) New constructions of hotels and resorts shall not be permitted within the ESZ except for accommodation of temporary occupation of tourist related to eco-friendly tourism activities;

Provided that extension of excising establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the ESZ shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest And Climate Change and the eco-tourism guideline issued by National Tiger Conservation Authorities (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development based on the carrying capacity study of the ESZ;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the monitoring committees.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artifacts, area and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the ESZ and heritage conservation plan for their conservations shall be prepared within six months from the date of publication of final notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and Control of noise pollution in the ESZ shall be compiled with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution. - Prevention and control of air pollution in the ESZ shall be compiled with in accordance with the prevention of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and rule made there under and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents. - The discharge of treated effluents in ECZ shall be in accordance with the provision of General Standards of Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act 1986 and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 and as amended from time to time;

(b) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(c) No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the ESZ;

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016; as amended from time to time.

(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the ESZ

(11) Plastic waste management. - The Plastic Waste Management in the ESZ shall be carried out as per the provision of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number GSR. 340 (E), dated the 18th march 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the ESZ shall be carried out as per the provision of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number GSR.317 (E), dated 29th March, 2016 as amended from time to time.

(13) E-waste. - The E-waste management in the ESZ shall be carried out as per the provision of E-waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Competent Authority in the state Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant acts and rules and regulation made there under.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and Control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the ESZ;

(b) Only non-polluting industries shall be allowed with in ESZ as per classification of industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone-

All activities in the Shendurney Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) and the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and other Acts and Rules prevalent in the State. Forest area coming under the eco-sensitive zone will remain to be governed under existing forest laws. Subject to the provisions of this paragraph, the activities in the Eco-sensitive Zone shall be regulated in accordance with tabular column given below, namely:-

Sl. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order(s) of the Hon'ble Supreme Court dated dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995; dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and IA No. 1000 of 2003 dated the 03rd June, 2022. IA No. 131377 of 2022, judgment dated the 26th April, 2023 and the 28th April, 2023 and subsequent judgment dated the 23rd July 2025 in I.A Nos. 162023, 162034, 162154 and 162155 of 2025 or any further orders regarding mining.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	No new industries and expansion of existing polluting industries in the ESZ shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of new major hydroelectric project	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste are permitted within ESZ. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/ hospitals etc. is prohibited.
7.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Manufacturing and storage of explosive items.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Conversion of hills for commercial purpose.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the ESZ
12.	Commercial use of Firewood	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
13.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
14.	Encroachment of river banks and destruction of river bank vegetation, collection of river stone.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
15.	Dumping of solid wastes/ plastic wastes/ chemical wastes in the river and the land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities		
16.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected Area or upto the extent of ESZ, whichever is nearer, except for small temporary structure for Eco-tourism activities. Provided that, extension of existing establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan.
17.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within the ESZ. Provided that local people shall be permitted to undertake in their land for their residential use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential need of the local residence such as: i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; iii. small scale industries not causing pollution termed as per classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco- tourism including home stays; and

		v. Promoted activities listed in this notification. (b) Provided that the construction activities related to small scale industries not causing pollution shall be regulated at the minimum, with the prior approval from the competent authority as per applicable rules and regulations if any. (c) Construction activities in ESZ shall be as per the Zonal Master Plan.
18.	Small scale non-polluting industries.	Non- polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazards, small scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the ESZ shall be permitted by the competent authority
19.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the state government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under. (c) In case of reserve forests and protected forests the working plan prescription shall be followed.
20.	Collection of forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
21.	Erecting of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
22.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guide lines.
23.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper environment impact assessment and mitigation measures as per applicable laws, rules and regulation and available guide lines.
24.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ.	Regulated under applicable laws.
25.	Commercial Fishing and unscientific fishing	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws, however, permitted for bona fide use of tribes.
26.	Protection of Hill Slopes and river.	Regulated under applicable laws.
27.	Movements of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
28.	Ongoing agricultural horticultural practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
29.	Discharge of treated waste water/ effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sledge or solid waste, the existing regulation shall be followed. The discharge of treated waste water /effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.

30.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
31.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activities should be strictly monitored by the appropriate authority.
32.	Solid waste management	Regulated under applicable laws.
33.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
34.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
35.	Use polythene bags.	Based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
36.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
38.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
39.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
40.	Non-polluting Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
41.	Use of renewable energy and fuels.	Biogas, solar light, etc. to be actively promoted.
42.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
43.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
44.	Skill development.	Shall be actively promoted.
45.	Restoration of Degraded land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
46.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification-

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called as the Shendurney Eco-sensitive Zone Monitoring Committee to monitor the compliance of this notification. The Monitoring Committee referred to in sub-paragraph (1) above, shall consist of the following members, namely:-

Sl. No.	**Constituent of the Monitoring Committee**	**Designation**
(i)	The District Collector, Kollam	Chairman;
(ii)	Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Kerala	Member;
(iii)	One expert in Ecology and environment from reputed Institution or University in the State of Kerala to be nominated by Government of Kerala for a term of one year in each case.	Member;
(iv)	Representatives of Kerala State Biodiversity Board	Member;
(v)	The Wildlife Warden, Shendurney	Member Secretary;

6. Terms of Reference of the Monitoring Committee –

1. The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
2. The tenure of the Monitoring Committee has been for three years.
3. The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and forests number S.O.1533 (E), dated the 14th September 2006 and are falling in ESZ, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 7 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
4. The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September 2006 and are falling in ESZ, except for the prohibited activities as specified in the table under *paragraph* 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authority.
5. The Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
6. The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments or representative from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
7. The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities by the 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro-forma given **Annexure-V.**
8. The central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such direction, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
9. The central Government and State government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provision of this notification
10. The provision of this notification shall be subject to the orders, if any, passed or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/95/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Annexure I

A. BOUNDARY DESCRIPTION OF SHENDURNEY WILDLIFE SANCTUARY

North	North side of Sanctuary has boundary with Aryankavu and Thenmala Ranges of Thenmala Forest Division, this boundary includes a portion of the Riya estate.
North-East	North-East side of the Sanctuary is shared boundary with interstate boundary with Tamil Nadu (Nellai WLS)
East	The Eastern boundary of the Sanctuary shared Inter-state boundary with Tamil Nadu (Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve)
South-East	The South-East Side share boundary with Thiruvananthapuram Territorial division and towards east state boundary with Tamil Nadu.
South	The Southern boundary of the Sanctuary shared with Thiruvananthapuram Territorial Division.
South - West	The South-West side of the Sanctuary have boundary with Thenmala, Thiruvananthapuram Territorial forest division and Rockwood estate.
West	The West side of Sanctuary have boundary with Thenmala and Punalur divisions, this boundary includes the Kattilapara enclosure.
North-West	The North-West side of the Sanctuary have boundary with Thenmala.

B. BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE OF SHENDURNEY WILDLIFE SANCTUARY

North	The boundary starts from a point near Kaltherimala (Point 1), runs along the common boundary of Riya Estate and the Reserve Forest, thence crossing Thiruvananthapuram - Shenkotta road and reaches at a point (Point 2) near Thenmala Divisional Forest office, from there boundary runs along the Northern border of the Riya Estate (including Riya Estate) towards Mannanthara up to point 3 at Thiruvananthapuram - Shenkotta road, thence along the Thiruvananthapuram - Shenkotta road up to Kazhuthurutti bridge (Point 4). From there, the boundary runs along the Kazhuthurutty river up to a point near Edappalayam L.P.S. From there, the boundary runs along the reserve forest boundary, excluding Lekshamveedu colony, Arunadhayam colony, Thevarkadu colony and Asraya colony up to a point at the Kazhuthurutti river and along the Kazhuthurutti river up to point 7.Thence along the reserve forest boundary, excluding Palaruvi enclosure, boundary reaches at Palaruvi checkpost and along the Palaruvi water fall road towards Kaduvappara thodu. Thence along the Kaduvappara thodu through point 9 and along the Valiyachappath thodu boundary reaches at point 10 at the Ariyankavu –Rosmala road. Hence, along the Ariyankavu –Rosmala road up to point 11 at the Rajakooppu boundary.Thence along the Palaruvithodu upto point 12 and thence along the Rajakoopu boundary through point 13, boundary reaches the interstate border (Point 14)
North - East	Interstate boundary.
East	Interstate boundary.
South East	Boundary starts from Karimala Kadakkal (Point 37) runs along the interstate boundary up to Pongumalai Ar (Point 38).
South	From Pongumalai Ar boundary runs along Thekkumala Ar then where the boundary moves towards North direction along the South-West boundary of Thekkumala section, Kollam - Thiruvananthapuram District boundary then to Kurukoratti Ar to Kulathupuzha Ar (Point.43).
South -West	From point-43, along the right Kayvazhi of Kulathupuzha river and along the plantation boundary through points from 44 to 53 up to Kulathupuzha river(Point 54).Thence along the bank of the Kulathupuzha River up to Meenmutty (Point-55). From Meenmutty, the boundary runs along the RPL boundary and reaches Thiruvananthapuram – Thenmala road near Neduvannoorkadavu.
West	From Neduvannoorkadavu, boundary runs along Thiruvananthapuram - Thenmala road up to Dam junction. Thence along the Dam- Pathekkar road about a distance of 150 mtr upto Erappanar.
North-West	From Erappanar boundary runs along the right bank of Erappanar towards Kaltherimala, the starting point.

Annexure II A

MAP OF THE SHENDURNEY WILDLIFE SANCTUARY ECO-SENSITIVE ZONE AND GEO-COORDINATES OF THE IMPORTANT WAYPOINTS

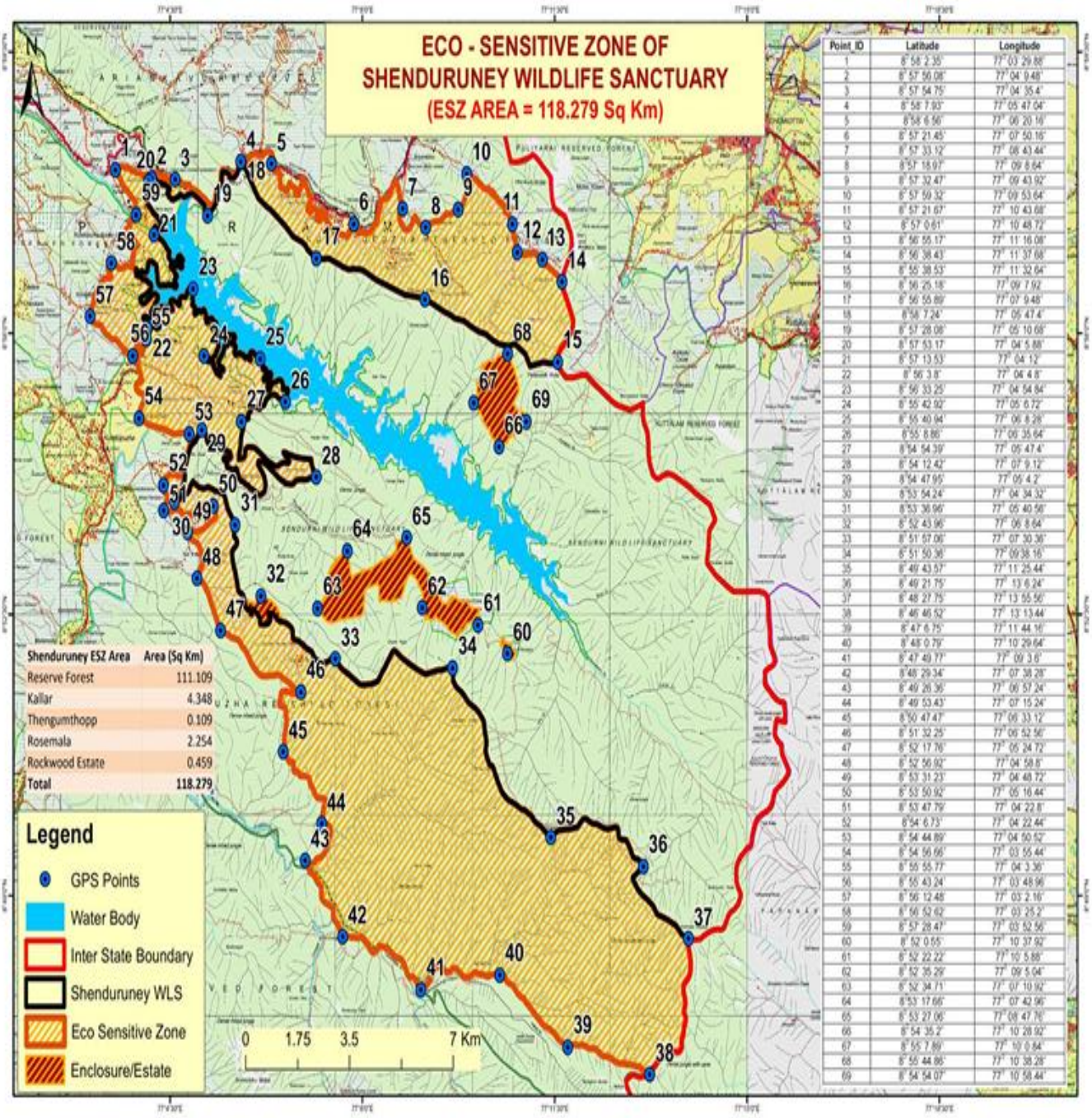

Annexure II B

TOPOGRAPHIC MAP OF SHENDURNEY WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

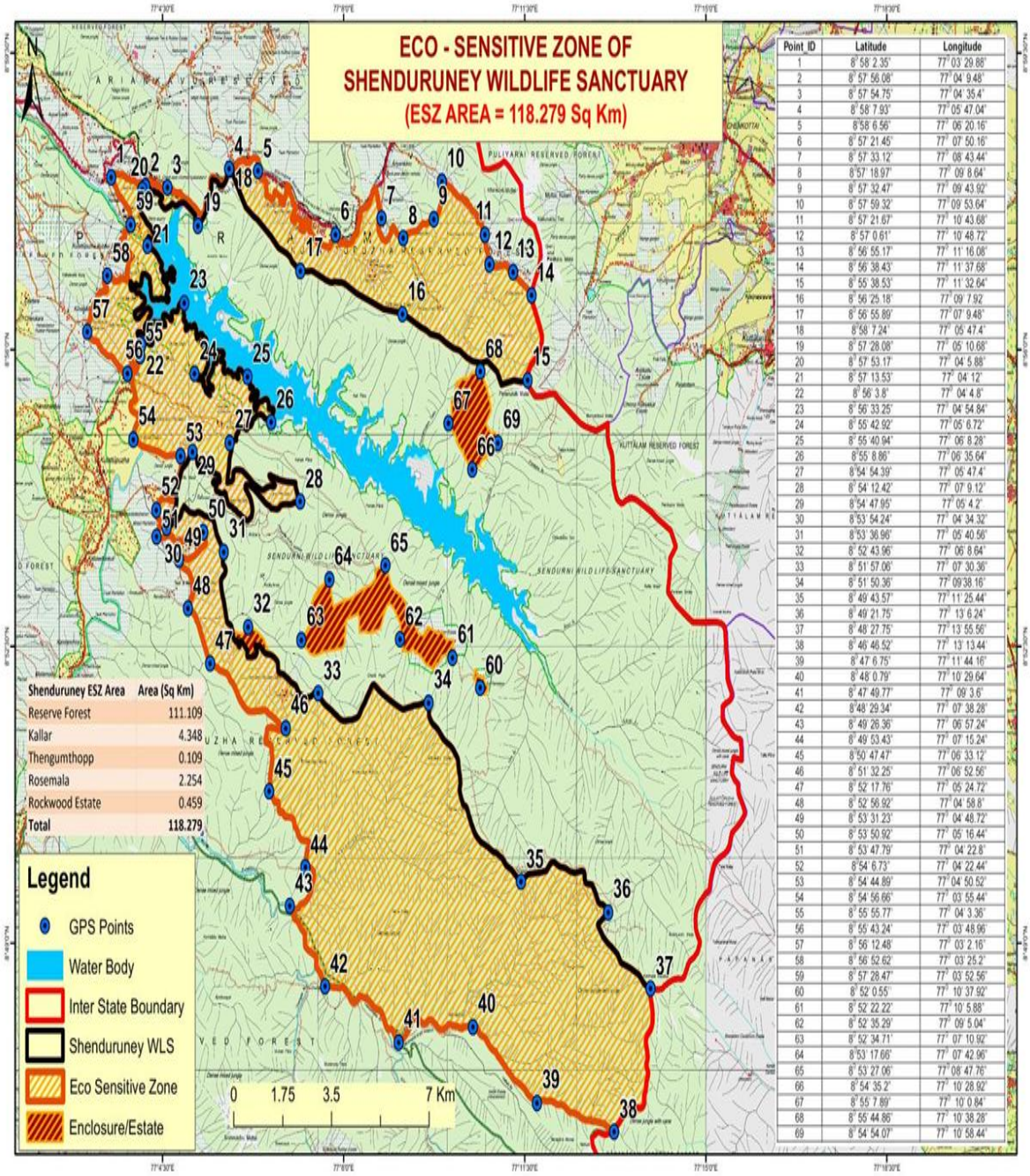

Annexure II C

GOOGLE EARTH MAP OF SHENDURNEY WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

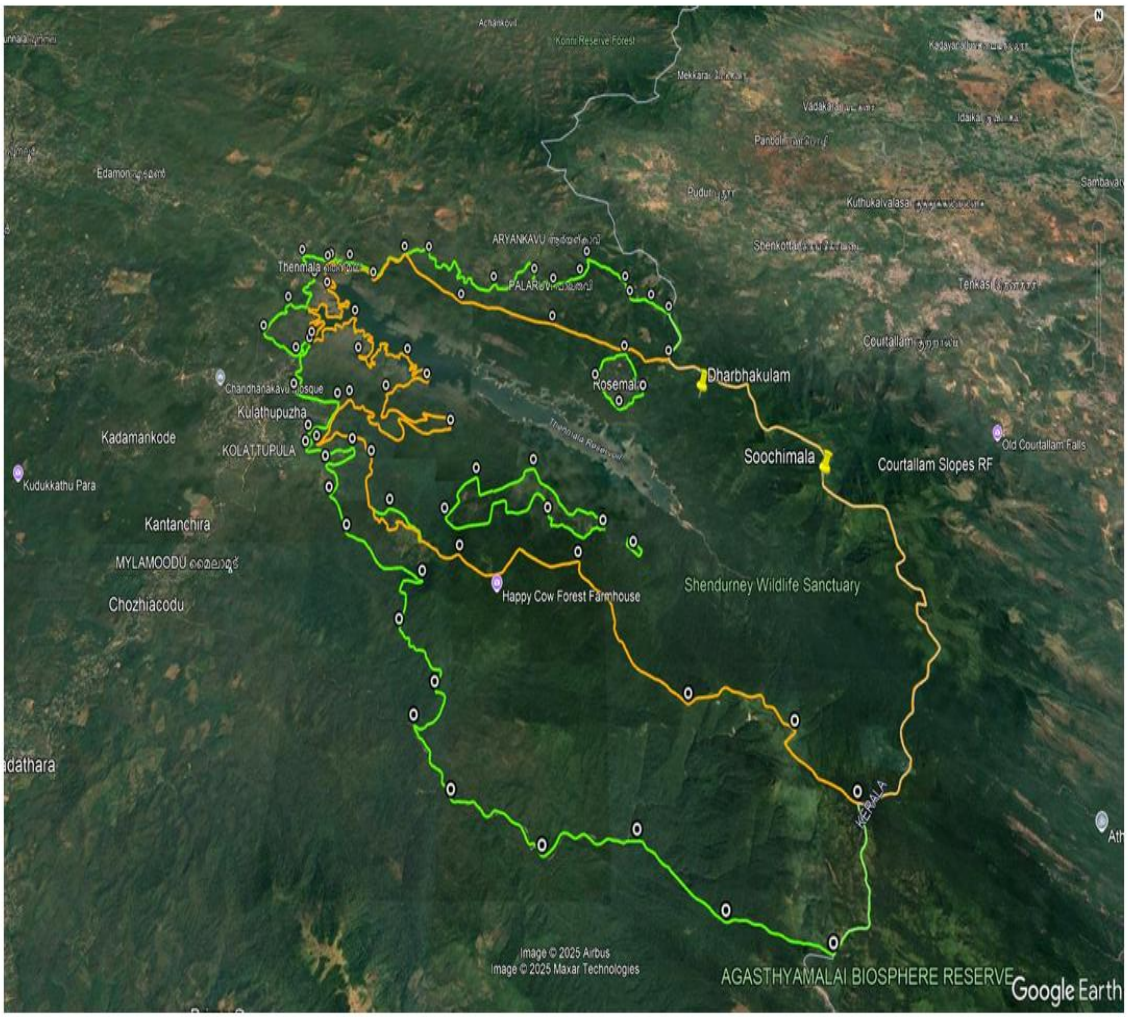

Annexure III

TABLE A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF SHENDURNEY WILDLIFE SANCTUARY SHOWN ON MAP.

Sl. No.	Location	Latitude	Longitude
1	Ettapadappu Beat	8°56′20.4″N	77°9′11.2″E
2	Ettapadappu Beat	8°55′46.7″N	77°10′49.9″E
3	Ettapadappu Beat	8°55′33.4″N	77°11′36.4″E
4	Ettapadappu Beat	8°55′0.0″N	77°13′9.1″E
5	Ettapadappu Beat	8°54′5.7″N	77°13′25.5″E
6	Ettapadappu Beat	8°53′34.5″N	77°14′28.6″E
7	Ettapadappu Beat	8°52′39.0″N	77°15′23.9″E
8	Ettapadappu Beat	8°51′47.7″N	77°15′32.7″E
9	Ettapadappu Beat	8°51′18.8″N	77°15′43.4″E
10	Ettapadappu Beat	8°51′5.6″N	77°15′35.2″E
11	Ettapadappu Beat	8°50′29.0″N	77°15′47.9″E
12	Kalamkkunnu Beat	8°58′2.0″N	77°5′57.1″E
13	Kalamkkunnu Beat	8°57′35.0″N	77°6′8.4″E
14	Kalamkkunnu Beat	8°56′50.3″N	77°7′13.0″E
15	Kalamkkunnu Beat	8°56′42.9″N	77°7′46.3″E
16	Kalamkkunnu Beat	8°56′52.5″N	77°4′44.3″E
17	Kalamkkunnu Beat	8°56′55.0″N	77°4′32.6″E
18	Kalamkkunnu Beat	8°57′8.2″N	77°4′15.5″E
19	Kalamkkunnu Beat	8°57′12.8″N	77°4′25.1″E
20	Kalamkkunnu Beat	8°57′48.1″N	77°4′9.3″E
21	Kalamkkunnu Beat	8°57′49.0″N	77°4′28.9″E
22	Kalamkkunnu Beat	8°57′33.5″N	77°4′47.7″E
23	Kalamkkunnu Beat	8°57′26.4″N	77°5′21.8″E
24	Kalamkkunnu Beat	8°57′55.3″N	77°5′36.3″E
25	Kalluvarambu Beat	8°49′31.3″N	77°15′7.8″E
26	Kalluvarambu Beat	8°48′55.4″N	77°14′56.5″E
27	Kalluvarambu Beat	8°49′22.3″N	77°14′12.1″E
28	Kalluvarambu Beat	8°49′6.7″N	77°12′58.6″E
29	Kalluvarambu Beat	8°49′45.7″N	77°12′38.1″E
30	Kalluvarambu Beat	8°49′52.4″N	77°12′7.1″E
31	Kalluvarambu Beat	8°49′38.1″N	77°11′28.3″E
32	Kalluvarambu Beat	8°50′12.0″N	77°10′35.7″E
33	Kalluvarambu Beat	8°51′7.3″N	77°10′14.4″E
34	Kalluvarambu Beat	8°51′45.2″N	77°9′41.7″E
35	Kalluvarambu Beat	8°51′57.8″N	77°8′38.2″E
36	Kalluvarambu Beat	8°51′33.1″N	77°8′19.9″E
37	Kalluvarambu Beat	8°51′51.6″N	78°10′33.6″E
38	Kalluvarambu Beat	8°52′25.6″N	77°6′20.5″E
39	Kalluvarambu Beat	8°53′11.2″N	77°5′40.7″E
40	Kalluvarambu Beat	8°53′52.3″N	77°5′33.0″E
41	Kalluvarambu Beat	8°54′48.9″N	77°4′37.3″E
42	Kalluvarambu Beat	8°54′41.2″N	77°5′9.4″E
43	Kalluvarambu Beat	8°53′24.7″N	77°5′39.2″E
44	Kalluvarambu Beat	8°54′54.0″N	77°6′12.3″E
45	Kalluvarambu Beat	8°54′19.2″N	77°6′10.3″E
46	Kalluvarambu Beat	8°54′1.7″N	77°6′45.7″E
47	Kalluvarambu Beat	8°54′7.1″N	77°7′12.7″E
48	Kalluvarambu Beat	8°54′25.7″N	77°6′38.5″E
49	Kalluvarambu Beat	8°54′29.6″N	77°5′58.1″E
50	Kalluvarambu Beat	8°54′49.2″N	77°5′51.5″E
51	Kalluvarambu Beat	8°55′8.7″N	77°6′23.0″E
52	Kalluvarambu Beat	8°55′13.0″N	77°6′36.4″E
53	Kalluvarambu Beat	8°55′12.5″N	77°6′19.8″E

54	Kalluvarambu Beat	8°55′19.4″N	77°6′15.8″E
55	Kalluvarambu Beat	8°55′32.9″N	77°6′11.9″E
56	Kalluvarambu Beat	8°55′34.8″N	77°6′1.3″E
57	Kalluvarambu Beat	8°55′39.0″N	77°5′44.2″E
58	Kalluvarambu Beat	8°55′52.3″N	77°5′44.0″E
59	Kalluvarambu Beat	8°55′50.2″N	77°5′36.2″E
60	Kalluvarambu Beat	8°55′27.1″N	77°5′31.6″E
61	Kalluvarambu Beat	8°55′22.5″N	77°5′28.3″E
62	Kalluvarambu Beat	8°55′37.5″N	77°5′10.8″E
63	Kalluvarambu Beat	8°55′54.5″N	77°5′25.6″E
64	Kalluvarambu Beat	8°55′59.7″N	77°5′17.9″E
65	Kalluvarambu Beat	8°56′2.8″N	77°5′13.4″E
66	Kalluvarambu Beat	8°56′12.2″N	77°5′10.4″E
67	Kalluvarambu Beat	8°56′8.8″N	77°5′0.5″E
68	Kalluvarambu Beat	8°56′16.2″N	77°4′57.4″E
69	Kalluvarambu Beat	8°56′28.9″N	77°4′57.2″E
70	Kalluvarambu Beat	8°56′21.9″N	77°4′50.2″E
71	Kalluvarambu Beat	8°56′15.5″N	77°4′43.1″E
72	Kalluvarambu Beat	8°56′19.1″N	77°4′34.0″E
73	Kalluvarambu Beat	8°56′11.9″N	77°4′36.2″E
74	Kalluvarambu Beat	8°56′5.2″N	77°4′20.7″E
75	Kalluvarambu Beat	8°56′58.8″N	77°4′21.1″E
76	Kalluvarambu Beat	8°56′0.2″N	77°4′14.4″E
77	Kalluvarambu Beat	8°56′6.2″N	77°4′4.1″E
78	Kalluvarambu Beat	8°56′10.9″N	77°4′12.6″E
79	Kalluvarambu Beat	8°56′22.8″N	77°4′19.2″E
80	Kalluvarambu Beat	8°56′17.0″N	77°4′2.7″E
81	Kalluvarambu Beat	8°56′30.5″N	77°4′12.6″E
82	Kalluvarambu Beat	8°56′41.8″N	77°4′55.7″E
83	Kalluvarambu Beat	8°56′48.3″N	77°4′10.7″E
84	Kalluvarambu Beat	8°56′30.8″N	77°4′21.2″E
85	Kalluvarambu Beat	8°56′29.0″N	77°4′39.5″E
86	Kalluvarambu Beat	8°56′45.5″N	77°4′34.3″E

TABLE B: LATITUDE-LONGITUDE OF PROMINENT LOCATION ALONG THE BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SHENDURNEY WLS SHOWN ON MAP.

Point_ID	Latitude	Longitude
1	8°58’2.35”	77°03’29.88”
2	8°57’56.08”	77°04’9.48”
3	8°57’54.75”	77°04’35.4”
4	8°58’7.93”	77°05’47.04”
5	8°58’6.56”	77°06’20.16”
6	8°57’21.45”	77°07’50.16”
7	8°57’33.12”	77°08’ 43.44”
8	8°57’18.97”	77°09’8.64”
9	8°57’32.47”	77°09’43.92”
10	8°57’59.32”	77°09’53.64”
11	8°57’21.67”	77°10’43.68”
12	8°57’0.61”	77°10’48.72”
13	8°56’55.17”	77°11’16.08”
14	8°56’38.43”	77°11’37.68”
15	8°55’38.53”	77°11’32.64”
16	8°56’25.18”	77°09’7.92’
17	8°56’55.89”	77°07’9.48”

18	8°58’7.24”	77°05’47.4”
19	8°57’28.08”	77°05’10.68”
20	8°57’53.17’	77°04’5.88”
21	8°57’13.53”	77°04’12”
22	8°56’3.8”	77°04’4.8”
23	8°56’33.25”	77°04’54.84”
24	8°55’42.92”	77°05’6.72”
25	8°55’40.94”	77°06’8.28”
26	8°55’8.86”	77°06’35.64”
27	8°54’54.39”	77°05’47.4”
28	8°54’12.42”	77°07’ 9.12”
29	8°54’47.95”	77°05’4.2”
30	8°53’54.24”	77°04’34.32”
31	8°53’36.96”	77°05’40.56”
32	8°52’43.96”	77°06’8.64”
33	8°51’57.06”	77°07’30.36”
34	8°51’50.36”	77°09’38.16”
35	8°49’43.57”	77°11’ 25.44”
36	8°49’21.75”	77°13’6.24”
37	8°48’27.75”	77°13’55.56”
38	8°46’46.52”	77°13’13.44’
39	8°47’6.75”	77°11’ 44.16”
40	8°48’0.79”	77°10’29.64”
41	8°47’49.77”	77°09’3.6”
42	8°48’29.34”	77°07’38.28”
43	8°49’26.36”	77°06’57.24”
44	8°49’53.43”	77°07’15.24”
45	8°50’47.47”	77°06’33.12”
46	8°51’32.25”	77°06’52.56”
47	8°52’17.76”	77°05’24.72”
48	8°52’56.92”	77°04’58.8”
49	8°53’31.23”	77°04’48.72”
50	8°53’50.92”	77°05’16.44”
51	8°53’47.79”	77°04’22.8”
52	8°54’ 6.73”	77°04’22.44”
53	8°54’44.89”	77°04’50.52”
54	8°54’56.66”	77°03’55.44”
55	8°55’55.77’	77°04’3.36”
56	8°55’43.24”	77°03’48.96’
57	8°56’12.48’	77°03’2.16”
58	8°56’52.62’	77°03’25.2”
59	8°57’28.47”	77°03’52.56”
60	8°52’0.55’’	77°10’37.92”
61	8°52’22.22”	77°10’5.88”
62	8°52’35.29”	77°09’5.04”
63	8°52’34.71”	77°07’10.92”
64	8°53’17.66”	77°07’42.96”
65	8°53’27.06”	77°08’47.76”
66	8° 54’ 35.2”	77°10’28.92”
67	8°55’7.89”	77°10’0.84”
68	8°55’44.86”	77°10’38.28”
69	8°54’54.07”	77°10’58.44”

Annexure IV

MAP OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SHENDURNEY WILDLIFE SANCTUARY

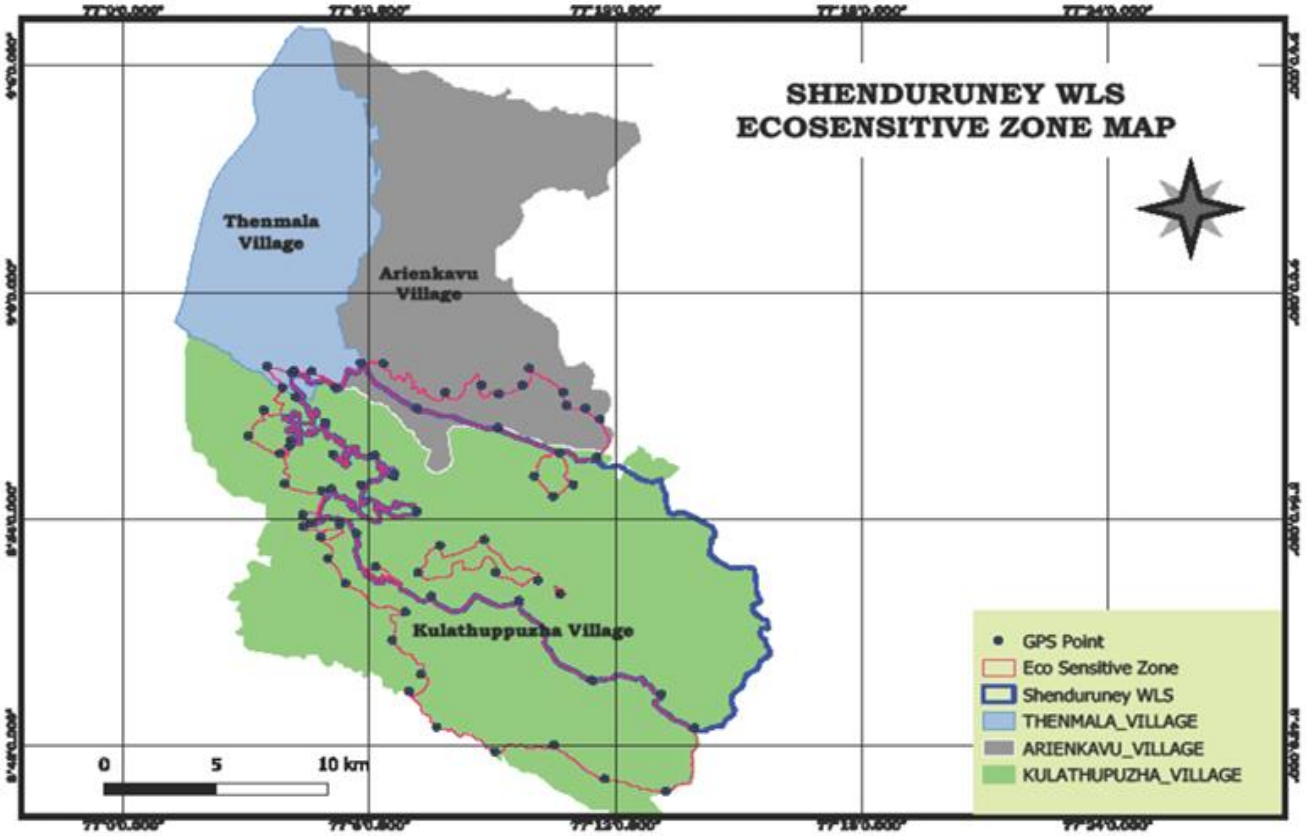

GEO-COORDINATES OF PROMINENT BOUNDARIES OF THE VILLAGES FALLING IN THE ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Village Name	Type of Village	Taluk	District	Latitude (N)	Longitude (E)
1	Aryankavu	Revenue	Punalur	Kollam	8°58’7.93”	77° 05’47.04”
					8°58’ 6.56”	77° 06’20.16”
					8°57’21.45”	77°07’50.16”
					8°57’33.12”	77°08’43.44”
					8°57’18.97”	77° 09’8.64”
					8° 57’32.47”	77°09’43.92”
					8° 57’59.32”	77° 09’53.64”
					8° 57’21.67”	77° 10’43.68”
					8° 57’0.61”	77°10’48.72”
					8° 56’55.17”	77°11’16.08”
2	Thenmala	Revenue	Punalur	Kollam	8° 58’ 2.35”	77° 03’29.88”
					8° 57’ 56.08”	77°04’9.48”
					8° 57’54.75”	77° 04’35.4”
					8°57’28.47”	77°03’52.56”
					8°47’6.75”	77°11’44.16”
					8°48’0.79”	77°10’29.64”
					8°47’49.77”	77°09’3.6”
					8°48’29.34”	77°07’38.28”
					8° 49’26.36”	77°06’57.24”

3	Kulathupuzha	Revenue	Punalur	Kollam	8° 52’17.76”	77°05’24.72”
					8° 52’56.92”	77°04’58.8”
					8° 53’31.23”	77°04’48.72”
					8° 55’55.77’	77°04’3.36”
					8° 55’43.24”	77°03’48.96’
					8° 56’12.48’	77°03’2.16”
					8° 56’52.62’	77°03’25.2”

Annexure-V

Performa of Action Taken Report - Shendurney Wildlife Sanctuary Eco sensitive zone monitoring Committee

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinized for activities **not** covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.12 15:07:25 +05'30'